पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

की

पुनर्संरचना

(बीपीआरडी)

रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता

पी.वी. राजगोपाल

आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)

वि-ाय-सूची

अधिदेश

अन्तर्दृ-टि रिपोर्ट का सारांश

प्रस्तावना

बीपीआरडी का सामरिक महत्व

अन्तर्दृ-टि की सिफारिशें

आई ओ डी ए रिपोर्ट का सारांश

प्रस्तावना

प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग

टी ए डी डी कर्मचारी

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रशिक्षण सामग्री का विकास

प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

चालू नीतियां

प्रशासनिक एवं वित्तीय नीति

अनुसंधान एवं विकास

प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का विकास

प्रशिक्षण मूल्यांकन

कार्यस्थल सुधार

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की पुनर्संरचना हेतु संशोधित प्रस्ताव

प्रस्तावना

गुण तथा दो-ा

प्रस्ताव

प्रणाली विज्ञान की पुनर्संरचना

युद्धनीति की पुनर्संरचना

उद्देश्यों की पुनर्संरचना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास प्रभाग का आदेश-पत्र

संकेत शब्द

कर्तव्यों का घो-णणा-पत्र

सिफारिशें

सिफारिश संख्या-1

संस्थान हेतु नवीन नाम

सिफारिश संख्या-2

वक्तव्य मिशन तथा आदर्श वाक्य

अस्तित्व

प्रस्तावित वक्तव्य मिशन

वर्तमान आदर्श वाक्य

प्रस्तावित आदर्श वाक्य

सिफारिश संख्या-3

मुख्यालय

प्रभागों के कर्तव्य और कार्य

अनुसंधान प्रभाग

आधुनिकीकरण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग

मानकीकरण प्रभाग

सुधारक प्रभाग

प्रशासनिक प्रभाग

सिफारिश संख्या-4

शाखा कार्यालय

शाखा कार्यालयों के कर्तव्य

रोड मैप

प्रस्तावना

अनुसंधान प्रभाग

आधुनिकीकरण (विकास) प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग

सुधारक सेवाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित होना चाहिए, जिसके लिए उसे एक दृ-टिकोण/योजना/रूपरेखा के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि अंतर्रा-ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उभरने का उद्देश्य शीघ्र ही प्राप्त किया जा सके ।

श्री शिवराज पाटिल
केन्द्रीय गृह मंत्री
29 सितम्बर, 2005

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के घो-णणा-पत्र के अंतर्गत बीपीआरडी के व्यवस्थित विकास पर ध्यान देने तथा अगले एक व-र्ा, तीन व-र्ा एवं पांच व-र्ा के लिए इसके व्यावहारिक एवं अनुभवजन्य परिणामों से संबंधित सापेक्ष महत्व की रोडमैप योजना बनाने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित संसाधनों की आवश्यकता है ।

श्री वी. के. दुग्गल
केन्द्रीय गृह सचिव
28 सितम्बर, 2006

अधिदेश

1.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक ने मुझे मानव संसाधन परामर्शी शाखा द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों -अन्तर्दृ-टि प्रबंधन परामर्शदाता, 2001 तथा आई.ओ.डी.ए. 2002 का अध्ययन करने के लिए कहा ।(देखिए डी.ओ. पत्र संख्या 32/39/97-आरडी/बीपीआरडी दिनांक 02 नवम्बर, 2006) । महानिदेशक ने मुझे एक नई रिपोर्ट प्रतिपादित करने हेतु कहा जो देश की वर्तमान आवश्यकताओं से मेल खाए तथा जिसका लाभ बीपीआरडी अगले दस व-र्षों तक उठा सके ।

1.2 मैंने अपना काम 17 नवम्बर, 2006 को आरम्भ किया । मैंने उपर्युक्त नामों वाले परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का अध्ययन किया । दोनों परामर्शदाताओं के मुख्य नि-क-र्षों का सार अगले पृ-ठों में वर्णित है ।

अन्तर्दृ-टि

प्रबंधन परामर्शदाताओं की

रिपोर्ट का सारांश

(2001)

परिचय

2.1 अन्तर्दृ-टि (इनसाइट) परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त 1970 में बीपीआरडी को दिए गए मौलिक अधिदेश में अनेक परिवर्तन किए जा चुके हैं । ये परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से किए गए हैं :--

(क) बीपीआरडी को कुछ प्रभागों तथा जिम्मेदारियों से वंचित कर दिया गया ।

(ख) कुछ अतिरिक्त प्रभाग तथा जिम्मेदारियां इसे सौंप दी गईं ।

(ग) आर्थिक शक्तियों के अभाव तथा कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ जिम्मेदारियों को निम्न प्राथमिकता दी गई जिससे संगठन का ध्यान मुख्य केन्द्रबिन्दु से हटता चला गया ।

(घ) संगठन के अधिकारियों को विविध कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप वे अधिदेश में वर्णित अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक नहीं निभा पाते क्योंकि उनके कार्य के घंटों में से अधिकांश समय तो उन विविध कार्यों को पूरा करने में ही लग जाता है । समय के साथ धीरे-धीरे ये जिम्मेदारियां रडार स्क्रीन से अस्प-ट होती जाती हैं ।

2.2 अन्तर्दृ-टि शाखा ने प्रत्येक विभिन्न स्तरों का विवरण अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है इस स्वायत्त शाखा द्वारा प्रस्तुत किया गया समग्र मूल्यांकन वास्तविक चित्र प्रदर्शित करता है ।

2.3 यदि कोई व्यक्ति अनुपालन स्तरों में असंतुलन के कारण खोजने का प्रयास करता है तो वह कर्मचारियों की अपर्याप्तता तथा दूसरा महत्वपूर्ण कारक, संगठन की अत्यंत केन्द्रित प्रकृति को दो-ा दे सकता है । यदि कोई उन पक्षों की गहराई में जाता जहां अनुपालन स्तरों को "निम्न " दर्जा दिया गया तब उसका उत्तर यही होता कि यह दर्जा संगठन का क्षेत्रीय इकाइयों के साथ निकट संबंध के अभाव के कारण है ।

2.4 दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में अनुपालन स्तरों को "उच्च " तथा "उच्च मध्यम " दर्जा दिया गया वहां कार्य नि-पादन तथा निर्णय मुख्यालय द्वारा लिए गए ।

2.5 "इनसाइट" शाखा ने अपने "स्थिति विश्ले-ाण" में कहा है कि अनुपालन के विभिन्न स्तरों का कारण बीपीआरडी की संरचना, प्रणाली, लोग तथा संस्कृति के कारण हैं ।

2.6 "इनसाइट" ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत साक्षात्कारों तथा प्रशासनिक प्रश्नावलियों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं का विस्तृत विश्ले-ाण प्रस्तुत किया है जो बीपीआरडी का सजीव चित्रण तथा उसकी अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं । शाखा के अनुसार प्रक्षेपित चित्र प्रोत्साहक नहीं हैं । अतः बीपीआरडी को (क) अपनी छवि को सुधारना होगा, और (ख) अपने अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचकर अपनी गतिविधियों से परिचित कराना होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बीपीआरडी को सभी राज्यों में विद्यमान होना पड़ेगा ।

2.7 प्रक्षेपित अपेक्षाओं में बीपीआरडी को एक सलाहकार निकाय के रूप में भूमिका निर्वाह करना, पुलिस के प्रभावी कार्यों के लिए विचारक के रूप में कार्य करना तथा राज्यों को अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रको-ठ स्थापित करने में सहायता करना शामिल है ।

2.8 एजेंसी द्वारा दिया गया एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि बीपीआरडी को समस्त देश तथा विश्व से आंकड़े तथा सूचनाएं एकत्रित कर एक स्रोत के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा उसे समग्र पुलिस बलों में प्रचारित कर देना चाहिए । बीपीआरडी को अग्र-सक्रिय होना चाहिए तथा सभी पुलिस बलों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोग करना चाहिए ।

2.9 बीपीआरडी को सर्वोत्तम कार्यों के साथ प्रस्तुत होना चाहिए तथा नीतियों के समस्त क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्यों पर अपने स्वतंत्र विचार रखने चाहिए ।

2.10 एजेंसी ने बीपीआरडी द्वारा निम्नलिखित कार्य करने की सिफारिश की है : ---

(क) मानकीकृत पुलिस कार्य तथा प्रशिक्षण मार्ग-दर्शिका का प्रतिपादन ।

(ख) प्रौद्योगिकियों तथा सूचना का अन्तर्राज्यीय अन्तरण ।

(ग) ज्ञान एवं सूचना आंकड़ों का विकास ।

(घ) बढ़ते अपराधों तथा आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए खोज निकाय के रूप में उभरना ।

(ड.) गतिविधियों के समन्वयन एवं प्रचारण हेतु केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में होना ।

(च) मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक संरचना के समस्त पक्षों तथा पुलिस के प्रबंधन में परिवर्तन हेतु परामर्श एवं सलाहकार सेवाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरी करना ।

(छ) देश भर की पुलिस की नई एवं जटिल आवश्यकताओं से अवगत होना ।

(ज) अंतर्रा-ट्रीय एकीकरण करना ।

बीपीआरडी का सामरिक महत्व

2.11 यह माना जाता है कि बीपीआरडी के पास केन्द्रीय सरकारी एजेंसी के रूप में एक स्प-ट कार्यनीति है जो विकास के लिए विशि-टतः उत्प्रेरक होगी । यह नीति समस्त भारत की नीतियों को प्रभावत कर सकती है ।

2.12 बीपीआरडी को अपनी कार्यवाहियों को सरल और कारगर बनाने तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को उन्नत करने की आवश्यकता है।

2.13 अपनी कुशलता बनाए रखने के लिए संगठन को अपने उपभोक्ताओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को सुनना, प्राप्त करना तथा प्रचारित करने की आवश्यकता है । यह प्रवृत्ति बीपीआरडी को एक आपूर्ति संचालन संगठन से आगे बढ़कर मांग संचालन संगठन की ओर ले जाएगी ।

2.14 पुलिस को भारत में एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें तथा आश्वस्त हो सकें कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा के लिए पुलिस उसके साथ है ।

2.15 यह माना जाता है कि नीति तैयार करना राज्य का वि-नय है । लेकिन जब भी पुलिस सुधार के वि-नय पर विचार करना होता है तब राज्य मार्गदर्शन के लिए केन्द्र पर निर्भर होता है । बीपीआरडी को ऐसी संस्था के रूप में उभरना चाहिए कि राज्य उस पर निर्भर करें ।

2.16 जांच-पड़ताल, समस्या समाधान से संबंधित कौशल, साझेदारी कौशल तथा पर्यवेक्षी प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । बीपीआरडी एक ऐसी संस्था है जो अपने समर्थन एवं मार्गदर्शन से संपूर्ण भारत की पुलिस में इन कौशलों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी ।

<u>अन्तर्दृ-टि (एनसाइट) परामर्शदाताओं की सिफारिशें</u> : --

2.17 भारतीय पुलिस सेवा के लिए एक व्यावसायिक एवं विश्वसनीय समर्थन एवं प्रशिक्षण परामर्शी संगठन का प्रबंध करना चाहिए ।

2.18 एक मूलभूत आवश्यकता, जो समस्त विकास कार्यक्रमों एवं वृद्धि का आधार है, वह है पंचव-र्षीय नीतिगत व्यावसायिक योजना का निर्माण । यह योजना बीपीआरडी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्प-ट निर्देश, महत्वपूर्ण कदम तथा परिमाणात्मक नतीजे प्रदान करेगी ।

2.19 बीपीआरडी को एक सुविचारित प्रबंधन एवं नेतृत्व चाहिए ।

2.20 बीपीआरडी को अपनी संरचना, कर्मचारीगण तथा संपूर्ण उपागम में मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है । इससे संबंधित एक विस्तृत चार्ट इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

आई.ओ.डी.ए.

की

रिपोर्ट का

सारांश

(2002)

परिचय

3.1 आई ओ डी ए ने अपनी रिपोर्ट में बीपीआरडी की कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित कमियों को दर्शाया है : ---

(क) बीपीआरडी को एक आबंटनजन, समन्वय तथा प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत विकसित किया गया है जो व-र्ों से अपनी प्रमुख सेवाएं उपभोक्ताओं को प्रदान कर रही है ।

(ख) नियमित कार्यों पर कर्मचारीवर्ग अत्यधिक परिश्रम करते हैं । हालांकि यह महत्वपूर्ण क्रियाशीलता है परंतु उत्पादक एवं गुणात्मक सेवाओं, प्रशिक्षण एवं विकास क्रियाओं, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण क्रियाओं, विश्वसनीय योग्यता तथा भावी योजनाओं के विकास से संबंधित परिणाम नगण्य है ।

(ग) यहां आंतरिक नीतियों तथा कर्मचारीवर्ग, उनकी भर्ती, अवरोधन तथा विकास एवं कैरिअर प्रोन्नयन संबंधी प्रक्रियाओं का अभाव है ।

(घ) कोई कार्य विवरण नहीं है । जब जैसी मांग होती है उसे प्रत्येक कार्य के साथ जोड़कर प्रस्तुत कर दिया जाता है ।

(ड.) अनुसंधान एवं विकास गतिविधि बहुत कम है ।

(च) नौकरशाही प्रकमण यंत्रवादी तथा अत्यधिक समय न-ट करने वाली है तथा इनसे प्रभावी अथवा सफल परिणाम निकलने के प्रमाण भी नहीं मिलते ।

(छ) प्रशासनिक कार्यों को पूर्णरूप से क्रियान्वित करने की परम्परा को बनाए रखने में बीपीआरडी की भूमिका का अभाव भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है ।

(ज) एक संशोधित मिशन वक्तव्य की आवश्यकता है जिससे संगठनात्मक तथा विभागीय उद्देश्यों को स्प-ट रूप में विकसित किया जा सके । यह प्रासंगिक, अर्थपूर्ण परियोजनाओं के लक्ष्यों तथा सेवाओं में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा । संशोधित मिशन वक्तव्य तथा व्यावसायिक योजना अत्यधिक केन्द्रीय उपागम उत्पन्न करेगी ।

(झ) प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों के संबंध में आईओडीए ने यह अनुभव किया कि यदि अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं मिलती तो गृह मंत्रालय को इस वि-नय

में संशोधन करना चाहिए तथा प्रशिक्षण एवं विकास विभाग से प्राप्त परिणामों को कम करना चाहिए ।

(ञ) अनुसंधान एवं विकास विभाग के संबंध में आईओडीए ने यह अनुभव किया कि विभागीय क्रियाओं को सम्पादित करने में कार्य पद्धतियां असफल हो रही हैं । अतः कार्य करने के तरीकों के परीक्षण एवं उनकी पुनर्रचना की आवश्यकता है ।

(ट) प्रशासनिक विभाग के संबंध में बीपीआरडी की आवश्यकताओं एवं क्रियाओं को सरल बनाने के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए ।

(ठ) यदि व्यावसायिक योजना तथा नीतिगत विकास के उचित परिणाम निकलते हैं तो संपूर्ण भारत में पुलिस सेवा के विकास में बीपीआरडी की भूमिका निर्णायक हो सकती है । यदि इसकी संरचना एवं प्रबंधन स्प-ट रूप में परिभा-ित एवं संपूर्ण नीति के अंतर्गत उचित रूप में की जाए तो इस प्रकार के संगठन की क्षमताओं के अंतर्गत प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान तथा विकास संतो-ाजनक है जो समय-समय पर उचित, उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता रखती है ।

(ड) प्रस्तावित अंतरिम अल्पकालीन व्यावसायिक योजना को पहले इन बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए (क) अगले पांच व-ाों के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नीतिगत लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना और (ख) संगठन की प्रदत्त सेवाओं तथा प्रभावकारिता को उन्नत बनाना ।

3.2 बीपीआरडी के कार्य योजना के मूल्यांकन के संबंध में आईओडीए का कहना है कि इसे एक ऐसे उत्कृ-ट केन्द्र के रूप में विकसित होना चाहिए जो पुलिस सेवा के सभी क्षेत्रों का उचित मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करे ।

3.3 बीपीआरडी की वर्तमान स्थिति सिद्ध करने के लिए आईओडीए ने समग्र कार्य अध्ययन करने की सिफारिश की है, जिसमें बताया जाए कि (क) कौन क्यचा कार्य कर रहा है और क्यों, (ख) कौन सी कार्य प्रणालियां प्रचलन में हैं, तथा (ग) क्या वे किस प्रकार बीपीआरडी के कार्यों में सहायक होती हैं ?

3.4 प्रभावी प्रशिक्षण एवं परामर्शदाता संसाधन के रूप में बीपीआरडी की क्षमताओं को मजबूत करना तथा रा-ट्रीय प्रशिक्षण नीति के विकास को सरल बनाना ।

3.5 बीपीआरडी का नीतिगत महत्व क्या है ? इस पर भारत के करीब 2.1 मिलियन पुलिस अधिकारियों के लिए बनाई जाने वाली प्रभावशाली नीतियों में सुधार करने की जिम्मेदारी है।

3.6 बीपीआरडी को संपूर्ण भारत के राज्यों को प्रशिक्षण, परामर्श, सहायता तथा समर्थन प्रदान करने वाली उत्कृ-ट संस्था के रूप में विकसित करने का निवेदन है ।

3.7 गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बीपीआरडी के महत्व को स्वीकार किया है और साथ ही प्रशिक्षण एवं विकास के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के सभी स्तरों पर उनके रूख तथा व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता को भी स्वीकारा है, जिसके लिए व्यावसायिक नीति कौशल पर विशे-ा बल दिया गया है, जिसमें आपराधिक दृश्य प्रबंधन तथा जांच-पड़ताल करते समय लिए जाने वाला साक्षात्कार शामिल है ।

3.8 पुलिस आधुनिकीकरण में बीपीआरडी के बड़े सहयोग को बीपीआरडी के पूर्व महानिदेशक ने स्वीकार किया है ।

3.9 आईओडीए द्वारा दिए गए योजनागत सुझाव निम्नलिखित हैं :--

(क) प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के समस्त प्रशिक्षण हेतु विशि-ट केन्द्र की स्थापना ।

(ख) प्रशिक्षण कर्मचारीवर्ग हेतु रा-ट्रीय एवं अंतर्रा-ट्रीय प्रत्यायन ।

(ग) प्रशिक्षण अपेक्षाओं का विश्ले-ाण करना ।

(घ) नीतिगत परामर्श ।

(ड.) राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को निश्चित करना ।

(च) रा-ट्रीय प्रशिक्षण योजना ।

3.10 आईओडीए ने यह अनुभव किया कि (क) एक आरंभिक संकेत बिंदु प्रदान करना आवश्यक था । वास्तव में एक ऐसे आधारभूत ढांचे को स्थापित करने की जरूरत है जिसमें इन विचारों को अभिगृहीत एवं संचालित किया जा सके । (ख) पुलिस आधुनिकीकरण प्रक्रिया के दौरान बीपीआरडी को एक व्यापक शक्ति के रूप में विकसित किया जाए ।

3.11 इस विकास प्रक्रिया का मुख्य केन्द्र उस अंतरिम कार्य योजना की रचना करना है जिस पर और अधिक नीतिगत एवं पंचव-ीय व्यावसायिक योजनाएं विकसित की जा सकें ।

प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग (टी. एवं डी.डी.)

3.12 प्रस्ताव के अनुसार भारत में सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग पर है परंतु इस तथ्य के बावजूद विभाग के समक्ष कोई प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता नहीं है ।

3.13 प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्ले-ाण हेतु बीपीआरडी के समक्ष प्रशिक्षित कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं । इसके लिए वह प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग की ओर से गृह राज्यों द्वारा कार्यमुक्त किए कर्मचारियों पर पूर्णतया आश्रित हैं । कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने एवं उनका प्रबंध करने में काफी समय लग जाने के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है ।

3.14 गुणवत्ता लेखा परीक्षण का ध्यान संभार-तंत्रीय मुद्दों पर है । वे न तो किसी प्रकार की गुणवत्ता समीक्षा प्रस्तुत करते हैं न ही दिए जाने वाले प्रशिक्षण के मानदंड प्रदान करते हैं ।

प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग की कर्मचारी संबंधी व्यवस्था

3.15 इस प्रभाग की पुनर्संरचना की आवश्यकता है जिसमें अनेक नए पदों का सृजन शामिल हो । अपेक्षित कर्मचारी विशे-ा रूप से प्रशिक्षित एवं तकनीकी विशे-ाज्ञ होने चाहिए ।

सूचना प्रौद्योगिकी

3.16 बीपीआरडी की पुनःसंरचना की प्रक्रिया तथा इसके क्रियाकलापों को सरल एवं कारगर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अत्यंत सहायक होगा । इसके द्वारा बीपीआरडी के अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुशलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी ।

प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का विकास

3.17 इस क्षेत्र की जिम्मेदारी एकमात्र यही है कि प्रस्ताव के उद्देश्यों में से एक मूलभूत उद्देश्य यह है कि बीपीआरडी को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ पुलिस सेवा को निरंतर आधुनिक बनाने का कार्य करना चाहिए । लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में हुई प्रगति काफी कम है ।

3.18 गुणात्मक विकास के निर्देशों तथा आंकड़ों के विश्ले-ाण हेतु न तो कोई प्रक्रिया है न ही विशे-ा कार्य अनुसंधानकर्ता कर्मचारी हैं ।

प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

3.19 सहायक निदेशक (प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण) को राज्य संस्थाओं में प्रशिक्षणरत कर्मचारियों के लिए विकास प्रक्रिया तथा एक नियमित एवं अग्रिम प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए । पुलिस सेवा के अंतर्गत आचारगत परिवर्तन तथा उसके कार्यों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए यह एक आवश्यक तथा अनिवार्य कार्य है ।

प्रचालन संबंधी नीतियां

3.20 बीपीआरडी के पास किसी प्रकार की समाकलित नीतियां नहीं हैं । जो वर्तमान निर्देश विद्यमान हैं वे विशि-ट पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा विशि-ट समय पर विशि-ट कार्यों के लिए अलग से विकसित एवं निर्दि-ट किए गए प्रतीत होते हैं ।

3.21 बीपीआरडी के प्रभावी एवं कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का सृजन करना आवश्यक है ।

3.22 नीतियों को आगे तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाएं एवं प्रणालियों के सृजन की आवश्यकता है ।

3.23 संगठन के भीतर तथा बाहरी साझेदारों के साथ अन्तरापृ-ठ वि-नयों को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए ।

3.24 जब नए पाठ्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए मांग की जा रही हो तब गृह मंत्रालय से संप्रे-ण के लिए एक मानक फार्मेट होना अपेक्षित है । यह मानक फार्मेट इस प्रकार तैयार किया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि प्रथम अनुरोध पर ही प्रासंगिक जानकारी गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी जाती है । इससे स्प-टीकरण की आवश्यकता कम हो जाएगी ।

प्रशासनिक एवं वित्तीय नीतियां

3.25 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के पास इतनी वित्तीय शक्तियां हैं जो दैनिक आधार पर बीपीआरडी के कुशल एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करती हैं । किन्तु किसी भी नए अथवा अग्रकार्य के अनुमोदन हेतु महानिदेशक की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के बीच अन्तर दिखाई देता है ।

अनुसंधान एवं विकास

3.26 अभी तक अनुसंधान एवं विकास की किसी भी क्रिया के कार्यान्वित होने के प्रमाण काफी कम हैं जिन्हें नियमित जांच-पड़ताल तथा प्रशासनिक कार्यों के रूप में अलग से सम्बद्ध किया जा सके ।

प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का विकास

3.27 अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं : --

(क) सिपाहियों के जनता के प्रति व्यवहार तथा आचरण से संबंधित प्रशिक्षण को उन्नत किया जाना । (गोरे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार)

(ख) सिपाहियों के लिए प्रासंगिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन, जिसमें सारगर्भित मानव घटक शामिल हों । (गोरे कमेटी)

(ग) पुलिस आचरण में सुधार हेतु उपयुक्त परिवर्तय एजेंटों का प्रशिक्षण । (पुलिस सुधार पर पद्मनाभैया कमेटी)

(घ) पुलिस प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र द्वारा योजना प्रायोजित की जाए जिसका पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए । (पद्मनाभैया कमेटी)

प्रशिक्षण मूल्यांकन

3.28 प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा उनमें सुधार के अवसर तथा उनकी प्रभावशीलता के संबंध में सुझाव दिए जाने अपेक्षित हैं ।

3.29 अगले पांच व-र्षों के लिए अपनी प्राथमिकताओं के वि-नय में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को अपनी नीतिगत कार्य-योजना विकसित करनी चाहिए ।

कार्य-स्थल सुधार

3.30 कार्य-स्थल सुधार संबंधी जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई, वे इस प्रकार हैं : --

(क) प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग के निवेश में वृद्धि ।

(ख) कर्मचारियों को विशि-ट भूमिका संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए ।

(ग) मूल्यांकन एवं विश्ले-ाण क्षमता संयोगी सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाए ।

3.31 आईओडीए के परामर्शदाताओं ने बीपीआरडी का एक संस्थागत मूल्यांकन प्रस्तुत किया । इस रिपोर्ट के प्रमुख नि-कर्ा इस प्रकार थे : --

(क) बीपीआरडी को एक संस्था बनाए रखने तथा उसके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए योजनागत नीति बनाई जानी चाहिए ।

(ख) मूल प्रस्ताव में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज भी प्रासंगिक हैं ।

(ग) आवश्यक अन्तःशक्ति विद्यमान है किन्तु वर्तमान प्रणाली तथा प्रक्रियाएं संगठन की क्षमता को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल कर देती है ।

3.32 बीपीआरडी के संस्थागत विकास के प्राथमिक चरण के संबंध में परामर्शदाताओं ने सिफारिश की है कि व्यावसायिक योजना पर आधारित इसकी क्रियाओं तथा संसाधनों के फैलाव का समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए जिसके द्वारा व्यावसायिक योजना प्रक्रिया विकसित की जाए ।

बी.पी.आर.डी.

की

पुनर्संरचना

हेतु

संशोधित प्रस्ताव

(2006)

परिचय

4.1 अन्तर्दृ-टि (इनसाइट) प्रबंधन परामर्शदाता तथा आईओडीए द्वारा जारी की गई रिपोर्टें अत्यन्त व्यापक हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु तथा सुझाव भी शामिल हैं तथापि निजी अथवा विदेशी निकाय सरकारी विभागों के काम करने के तरीकों से परिचित नहीं होते । दूसरा, ये रिपोर्ट सन 2001 तथा 2002 से संबंधित हैं । जब अंतर्रा-ट्रीय आतंकवाद तथा वामपक्ष अविवादिता से अपना सिर उठा रही थी और इस कारण देश में नीतियों में परिवर्तन हो रहा था और समकालीन सरकार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की भूमिका को विकसित करना चाहती है जो जनता की अपेक्षाओं से मेल खाए और साथ ही पुलिस की क्षमता तथा प्रभाविता में भी वृद्धि हो ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की शक्तियां तथा कमजोरियां

4.2 **शक्तियां** : बीपीआरडी के समक्ष एक ऐसा शक्तिशाली तथा सुविचारित घो-णा-पत्र है जिसके द्वारा देशी नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है ।

4.3 **कमजोरी** : अपने वर्तमान स्वरूप में केन्द्रीय अन्वे-ण ब्यूरो की स्थापना 1963, सीमा सुरक्षा बल की 1965, R एंड AW की 1968 तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना 1970 में हुई थी । एक ओर जहां आज आरंभिक तीन संगठनों की प्रगति तथा विस्तार बहुत अधिक हो चुका है वहीं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का अस्तित्व आकार में आज न केवल सिकुड़ गया है अपितु इसका नाम एक महत्वहीन तथा उपेक्षित संगठन के रूप में व्यक्त हो रहा है ।

4.4 इसका एक मुख्य कारण यह है कि बीपीआरडी के महानिदेशक के पास कार्यात्मक तथा वित्तीय शक्तियां नहीं हैं और दूसरा, यहां पदासीन अधिकारियों को कोई सुविधाएं भी प्रदान नहीं हैं । अतः सक्षम और अनुभवी अधिकारियों में इस संस्था से जुड़ने का कोई आक-र्ण नहीं है । कर्मचारियों की इस कमी के कारण बीपीआरडी उस सपने को पूरा करने में

असमर्थ है जो इसकी नींव रखते समय इसके जन्मदाताओं ने इस संस्था के लिए तथा भारतीय पुलिस के सुधार के लिए देखा था ।

4.5 अन्तर्दृ-टि (इनसाइट) प्रबंधन परामर्शदाताओं तथा आईओडीए की रिपोर्ट के अनुसार बीपीआरडी की छवि खराब है । उन्होंने यह भी निरीक्षण किया कि : --

(क) "बीपीआरडी एक शक्तिहीन संस्था है, न ही इसके पास कोई वास्तविक अधिकार है। सुविधाजनक तबादलों के लिए यह स्थल एक शीतनि-क्रिय और आश्रय स्थल है ।"

(ख) "राज्य न तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील है और न ही वे उसके उद्धार के प्रति ।"

(ग) सीपीओ अपनी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की आवश्यकताओं का स्वयं ध्यान रखने के लिए आश्वस्त हैं ।

4.6 यदि सरकार द्वारा अगले पांच व-र्षों में पुनःसंरचना की प्रक्रिया संबंधी सिफारिशों को विभिन्न चरणों में मंजूर कर लिया जाता है तो यह संगठन को अपनी उपरोक्त गिनाई गई कमजोरियों से उबरने में सहायक होगा तथा गृहमंत्री ने बीपीआरडी को अन्तर्रा-ट्रीय महिमा के साथ विश्व स्तरीय संगठन के रूप में उभारने का सपना देखा है, वह भी पूरा हो जाएगा।

उपागम

4.7 मेरे उपागम में इनसाइट और आईओडीए की रिपोर्टों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी शामिल हैं : --

(क) **दिनांक 28 अगस्त, 1970-प्रस्ताव** -जिसके द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना हुई । (परिशि-ट -1)

(ख) **संकल्प दिनांक 13 सितम्बर, 1973** -जिसके द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया । (परिशि-ट-।।)

(ग) **ज्ञापन दिनांक 23 सितम्बर, 1976**-जिसमें आई.सी.एफ.एस. के लक्ष्यों को पुनःनिश्चित किया गया और अपराध विज्ञान तथा न्यायिक विज्ञान को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से पृथक किया गया । (परिशि-ट-।।।)

(घ) **गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 नवम्बर, 1995** -जिसके द्वारा सुधारात्मक प्रशासनिक कार्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपा गया । (परिशि-ट-IV)

(ड.) **गृह मंत्रालय का संकल्प दिनांक 31 दिसम्बर, 2002** -जिसके द्वारा कोलकाता, चंडीगढ़ तथा हैदराबाद में स्थापित न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा कोलकाता, शिमला और हैदराबाद में स्थापित जीईक्यूडी को नवीन न्यायिक विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत रखा गया तथा बीपीआरडी के घो-णा-पत्र को पुनः संशोधित किया गया। (परिशि-ट-V)

(च) **14 फरवरी, 2003 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्कालीन महानिदेशक द्वारा भेजा गया प्रस्ताव**-गृह मंत्रालय की उपरोक्त विज्ञप्ति के जवाब में जो प्रस्ताव तत्कालीन महानिदेशक ने गृह मंत्रालय को भेजा उसमें द्वैधवृति के विलोपन द्वारा जिम्मेदारियों के संशोधित घो-णा-पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया तथा ऐसे घो-णा-पत्र की मांग की गई जो अधिक स्प-ट, उद्देश्यपूर्ण तथा महत्वपूर्ण हो । (परिशि-ट-VI)

(छ) **बीपीआरडी के प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चा का विवरण** -जो 29 सितम्बर, 2005 को माननीय गृहमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया । (परिशि-ट-VII)

(ज) 1 सितम्बर, 2005 -प्रधानमंत्री के साथ हुई पुलिस अधीक्षकों के रा-ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु ।

(झ) 28 सितम्बर, 2006 को गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त (परिशि-ट-VIII)

(ञ) 23 अक्टूबर, 2006 को बीपीआरडी द्वारा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव जो बीपीआरडी महानिदेशक की वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । (परिशि-ट-IX)

(ट) गृह मंत्रालय की पुलिस अधिनियम मसौदा समिति द्वारा प्रारूपित आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 ।

(ठ) 6 अक्टूबर, 2006 को डीजीपी के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा रा-ट्रीय पुलिस मिशन पर घोषित संकल्पना पत्र ।

(ड) दिनांक 14 नवम्बर, 2006 को जारी पुलिस प्रशिक्षण पर आधारित नीति का प्रारूप तथा इसके पूर्व प्रारूप राज्यों को दिसम्बर, 2002 में परिचालित किए गए थे ।

प्रणाली विज्ञान की पुनर्संरचना

4.8 प्रणाली विज्ञान की पुनर्संरचना में उन सभी व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील हैं उसे समझते हैं और उसमें शामिल हैं । अतः मैंने निम्नलिखित लोगों से बातचीत की : --

(क) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधिकारी ।

(ख) सी.डी.टी.एस. के अध्यक्ष ।

(ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कुछ पूर्व अधिकारी ।

(घ) प्रशिक्षण क्षेत्र के अधिकारी ।

(ड.) इस क्षेत्र में सेवारत कतिपय पुलिस अधिकारी ।

4.9 मैंने इंटरनेट पर भी अनेक वेबसाइटों पर जाकर विभिन्न देशों में पुलिस में होने वाले आधुनिक विकास की जानकारी प्राप्त की ।

4.10 मैंने अपनी रिपोर्ट की एक "पावरपॉइंट" प्रस्तुतीकरण बीपीआरडी के सभी मुख्यालयों के अधिकारियों को भेजी । तत्पश्चात उन सभी ने प्रत्येक आधार पर अपने परामर्श प्रस्तुत किए और तब इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया ।

योजना की पुनःसंरचना

4.11 योजना की पुनः संरचना के लिए निम्न का अध्ययन करना आवश्यक है : --

(क) वे उद्देश्य जिनके लिए इस संगठन की स्थापना की गई ।

(ख) इसे सौंपे गए कार्यों अथवा कर्तव्यों का घो-णणा-पत्र ।

(ग) संगठन के लक्ष्य/उद्देश्य/योजनाएं, जो उसने अपने लिए स्थापित किए ।

(घ) संगठन के नेताओं द्वारा इसके भावी विकास के लिए देखा गया स्पप्न जो विश्व-व्यापी समय तथा विकास के अनुकूल थे ।

(ड.) सत्ताधारी सरकार के नेताओं का पुलिस के संबंध में सामान्य तथा संगठन के संबंध में विशि-ट दृ-टिकोण तथा योजना ।

उद्देश्यों की पुनःसंरचना

4.12 उपर्युक्त कार्य के आधार पर मैंने संगठन की अगले दस व-र्षों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीपीआरडी की पुनःसंरचना की रूपरेखा तैयार की : --

(क) पुलिस की छवि में सुधार ।

(ख) पुलिस की आशाओं को पूरा करना ।

(ग) जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(घ) वर्तमान तथा भवि-य में पुलिस के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान प्रदान कर संगठन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना ।

4.13 मेरा यह दृढ़ विचार है कि कोई भी देश यदि अपना आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा की वर्तमान प्रगति को बनाए रखना चाहता है, उसे उस क्षेत्र की प्रमुखता को ग्रहण करना होगा। अतः मेरे विचार में बीपीआरडी को गृह मंत्रालय तथा देशभर की पुलिस के बीच संपर्क की भूमिका को ग्रहण करना होगा । भारत में पुलिस कार्यों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को सलाह देने की जिम्मेदारी इसे उठानी पड़ेगी । यह जिम्मेदारी अत्यंत गंभीरतापूर्वक, व्यवस्थागत रूप में तथा संस्थागत तरीके से निभानी होगी ।

4.14 निस्सन्देह जनादेश हमारे देश में राज्य का वि-नय है परंतु देश को शीघ्रतापूर्वक उन्नति की ओर ले जाने में इस प्रकार के जनादेश के निर्माण में केन्द्र सरकार की रूचि है । इस समग्र वि-नय पर पावन रूप में तथा समस्त भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का अधिदेश

4.15 1970 में बीपीआरडी को दिए गए अधिदेश में इस संगठन के प्रति अधिकारियों का विशाल स्वप्न झलकता है । दुर्भाग्यवश, कर्मचारियों के अभाव के कारण वह स्वप्न पिछले 36 वर्-ा बीत जाने पर भी पूरा नहीं हो सका है ।

4.16 दिनांक 28 अगस्त, 1970 को प्रस्तावित प्रथम प्रस्ताव, जिसके द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई, के पहले अनुच्छेद में बीपीआरडी के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वे इस प्रकार हैं : --

"आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करने का निर्णय लिया । इस वि-नय को उसने प्रत्यक्ष और सक्रिय महत्व दिया और देश में पुलिस की पद्धतियों और तकनीकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शीघ्र प्रयोग हेतु परिवर्तनशील समाज में पुलिस समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन शीघ्र किया जाए ।"

"पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निम्नलिखित प्रभाग हैं : --

1. अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन
2. विकास

अनुसंधान विभाग देश में पुलिस सेवाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करेगा और शुरू में समन्वयन के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रेरित और निर्देशित करेगा । इसके साथ.....

"विकास प्रभाग भारत और अन्य देशों में पुलिस कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में विकास को बराबर बनाए रखेगा । भारत में पुलिस कार्य में उपयुक्त साधन एवं तकनीकों को प्रवर्तित करने के विचार को प्रोत्साहित करने के साथ .....

"भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को इसके संचालन क्षेत्र के मामलों पर परामर्श देना ।"

4.17 13 सितम्बर, 1973 के प्रस्ताव में वर्णित किया गया, जिसके अनुसार प्रशिक्षण विभाग की स्थापना हुई ।

"देश में पुलिस बल की समग्र सक्षमता में सुधार के उद्देश्य से.....तथा पुलिस के बीच आचारगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु.....बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया जो पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर राज्य तथा केन्द्र शासित राज्यों को सहायता एवं परामर्श देगा ।"

.....पुलिस प्रशिक्षण की भावी आवश्यकताओं को निर्धारित करने तथा मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा .....जो राज्यों को पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के आयोजन तथा आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करेगा ।

.....प्रशिक्षण आयोजनों में एकरूपता और मानकीकरण को सुनिश्चित करना ।

प्रशिक्षण हेतु मानकीकृत उपकरण .....

.....मानक नियमावली, पाठ्य पुस्तकें निर्मित करना.....उच्च श्रेणियों के बीच प्रशिक्षण बोध को मजबूत करना ।

.....सूचना हेतु वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना ....."

इस पर मैंने बल दिया है.....

<u>मुख्य शब्द</u>

4.18 1970 के प्रथम संकल्प (I), जो बीपीआरडी की स्थापना से संबंधित है, तथा प्रशिक्षण निदेशालय से संबंधित 1973 के दूसरे संकल्प में प्रयुक्त मुख्य शब्द इस प्रकार हैं : --

1. अनुसंधान
2. व्यवस्थित अध्ययन
3. आधुनिकीकरण
4. मानकीकरण
5. पुलिस प्रशिक्षण आवश्यकताएं
6. आचारगत परिवर्तन
7. सलाहकार सरकारें
8. वितरण केन्द्र (एकत्रित और वितरित करना) ।

9. समन्वयन ।

कर्तव्यों का घो-णा-पत्र

4.19 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो कर्तव्य हैं वे 1970 के घो-णा-पत्र में सम्मिलित हैं । कुछ अन्य कर्तव्य 1973 के घो-णा-पत्र में शामिल हैं जब उसमें प्रशिक्षण निदेशालय को जोड़ा गया । आपराधिक विज्ञान के अलगाव के साथ दिसम्बर 2002 में घो-णा-पत्र में पुनः संशोधन किया गया ।

4.20 तीनों घो-णा-पत्रों में बार-2 वि-नयों की आवृत्ति के कारण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक ने फरवरी, 2003 को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें घो-णा-पत्र से कर्तव्यों की आवृत्ति को दूर करने के लिए कहा गया तथा ऐसा घो-णा-पत्र बनाने हेतु कहा गया जो स्प-ट, उद्देश्यपूर्ण तथा उत्तरदायी हो । अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

4.21 तीनों घो-णा-पत्रों में संगठन से जिन कर्तव्यों के पालन करने की आशा व्यक्त की गई थी उन्हें ऊपर लिखित मुख्य शब्दों में प्रबलता से बताया गया है ।

4.22 सितम्बर, 2005 में गृहमंत्री ने विशे-ा रूप से स्प-ट किया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को निम्नलिखित वि-नयों से संबंधित अध्ययन का प्रबंध करना चाहिए :--

(क) सिपाहियों तथा अधिकारियों के लिए मकानों तथा पुलिस स्टेशनों के लिए क्षेत्र विशे-ा तैयार करना।

(ख) पुलिस संबंधी क्षेत्रों पर सी पी ओ/सी पी एम एफ तथा डी जी पी की ओर से आवश्यकता आधारित अनुसंधान ।

(ग) एक आम आदमी पुलिस की सहायता कैसे कर सकता है (जो पुलिस कार्यों में जनता की भागीदारी को प्रवर्तित कर रहा है ।) ।

(घ) अनेक देशों में अपराध पीड़ितों को इस प्रकार की नीतियों तथा प्रथाओं के पृ-ठपट के विरूद्ध क्षतिपूर्ति ।

4.23 सितम्बर, 2006 में गृह सचिव ने जो अवलोकन किया, वह इस प्रकार है :--

(क) अनुसंधान पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे पुलिस के लिए क्षेत्रीय आधार पर वास्तविक परिणाम प्राप्त किए जा सकें । (अर्थात प्रायोगिक अनुसंधान को प्रमुखता दी जाए ।) ।

(ख) प्रत्येक राज्य की विशि-ट समस्या की पहचान करना तथा अनुसंधान एवं सुझाव कार्यों का प्रबंध करना ।

(ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को प्रत्येक राज्य हेतु आधुनिक गश्त वाहन, शस्त्रीय आवश्यकताओं को निश्चित करना तथा ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण, शहरी तथा महानगरों हेतु आधुनिक पुलिस स्टेशनों को औपचारिक (मानकीकृत) रूप देना ।

4.24 6 अक्टूबर, 2006 को राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस मिशन क्षेत्र की स्थापना करने के अपने मंतव्य की घो-णा की, जो :--

(क) पुलिस को एक नवीन दृ-टिकोण तथा लक्ष्यों को नई दिशा प्रदान करेगा ।

(ख) देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को प्रभावी उपकरण के रूप में बदलना तथा अगली शताब्दी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें आवश्यक सामग्री, बौद्धिकता तथा संगठनात्मक संसाधनों से सुसज्जित करना।

(ग) पुलिस हेतु नवीन दृ-टिकोण का सृजन करना ।

(घ) शक्तियों के उपयुक्त विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन द्वारा सभी स्तरों पर पुलिस को सशक्त करने की ओर विशे-ा ध्यान देना जिससे वे सक्षमता को मूल स्तर से बढ़ा सके ।

(ड.) जनता के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए पुलिस संगठन में श्रे-ठता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना । तथा

(च) वि-ाम युद्ध-स्थितियों, शहरी क्षेत्रों में नवीन प्रवृतियों तथा सामाजिक अशांति जैसी नई चुनौतियों से मुकाबला करेगा ।

4.25 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के लिए आवश्यक है कि वह घो-णा-पत्र में इन सभी प्रेक्षणों को शामिल करे और एक पुनः संशोधित घो-णा-पत्र प्रस्तुत करे जैसा कि फरवरी, 2003 में भेजा गया था और जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली ।

सिफारिशें

सिफारिश संख्या - 1

संगठन का नया नाम

5.1 निस्सन्देह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन ही है जैसा कि 1970 में इसका मूल रूप निर्दि-ट किया गया था । 1973 में प्रशिक्षण निदेशालय के जुड़ने पर तथा 1995 से सुधारात्मक कार्यों के साथ समय-समय पर इसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई । अतः अब इसे अनेक अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं जिनका वर्णन परवर्ती प्रस्तावों तथा कर्तव्यों के घो-णा-पत्र में किया गया है । अतः इसके लिए एक ऐसा उपयुक्त नाम दिया जाए जो व्यापक हो और संगठन द्वारा किए जाने वाले तथा अपेक्षित कार्यों के व्यापक सप्तक का प्रतिनिधित्व करें । अधिकारियों के साथ बैठक में तथा मेरे साथ हुई उनकी चर्चा के दौरान विचारार्थ अनेक नाम सुझाए गए ।

5.2 नियमानुसार अनुसंधान शब्द क्षतिग्रस्त हो चुका है । अनुसंधान संगठन के लिए किसी भी शि-टमंडल को संघ लोक सेवा आयोग की सहमति लेनी होगी ।

5.3 अतः यह प्रस्तावित किया गया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया नाम रा-ट्रीय पुलिस विभाग रखा जाए । (अनुसंधान, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण तथा सुधारात्मक सेवाएं)।

सिफारिश संख्या - 2

मिशन वक्तव्य तथा आदर्श वाक्य

5.4 किसी भी संगठन के रूपांतरण में पहला चरण उसके द्वारा दिया गया स्प-ट एवं असंदिग्ध मिशन वक्तव्य तथा आदर्श वाक्य होता है । मिशन वक्तव्य में संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए और इसे बहुत विशि-ट होना चाहिए ।

वर्तमान मिशन वक्तव्य तथा प्रस्तावित नए मिशन वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले वि-नयों का वर्णन इस प्रकार है : ---

वर्तमान

5.5 वर्तमान मिशन वक्तव्य निम्न रूप में पढ़ा जाता है : ---

उत्कृ-टता तथा श्रे-ठ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए :

(क) पुलिस तथा सुधारात्मक सेवाओं हेतु अनुसंधान तथा विकासशील नीतियों तथा व्यवहारों में निवेश करना ।

(ख) कार्य नि-पादन में वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी को खोजना तथा सुनिश्चित करना।

(ग) मानव संसाधन विकास को प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति से ओत-प्रोत करके प्रति-ठापित करना ।

(घ) भावी चुनौतियों तथा पणधारियों को सहयोग देने के लिए योजनागत दृ-टिकोण प्रतिपादित करना ।

(ड.) जनता के लिए पुलिस को व्यावसायिक सेवा के रूप में निर्मित करना ।

(च) समान दर्शन के लिए राज्य तथा केन्द्रीय संगठनों के बीच सहयोग और समन्वयन विकसित करना ।

प्रस्तावित मिशन वक्तव्य

5.6 संशोधित मिशन वक्तव्य निम्नरूप में प्रस्तावित किया गया : --

(क) (अगस्त 1970 के संकल्प के अनुसार) देश में पुलिस के आधुनिकीकरण में प्रत्यक्ष एवं सक्रिय रूचि लेना एवं भूमिका निभाना ।

(ख) (1970 के संकल्प के अनुसार) परिवर्तनशील समाज में पुलिस की समस्याओं के गत्यात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन तथा नियतकालिक समीक्षा को प्रोत्साहित करना

तथा पुलिस की पद्धतियों एवं तकनीकों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक प्रबंधकीय पद्धतियों को प्रयोग में लाना ।

(ग) ऐसे पथ-प्रदर्शी अध्ययन, वि-नयपरक अध्ययन, विशि-ट अध्ययन तथा गंभीर अनुसंधानों को प्रवर्तित, प्रेरित तथा प्रति-ठापित किया जाए जो पुलिस प्रदत्त सेवाओं की आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान कर सकें ।

(घ) पुलिस में सभी श्रेणियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य/केन्द्र शासित राज्यों की पुलिस तथा सी पी ओ/ सी पी एफ को सलाह एवं सहायता प्रदान करना । (संकल्प, सितम्बर, 1973)

(ड.) पुलिस संबंधी सभी मामलों में मानकीकरण एवं एकरूपता लाना जिसमें देशभर के पुलिस संगठनों के लिए प्रशिक्षण तथा संभावी प्रत्यायन शाखा सम्मिलित हो । (संकल्प, सितम्बर, 1973) ।

(च) देश-विदेश से ज्ञानात्मक कौशल तथा उत्कृ-ट प्रयोगों के दस्तावेज प्राप्त किए जाएं और उन्हें वितरित किया जाए । (संकल्प, सितम्बर, 1973) ।

(छ) पुलिस समस्या संबंधी क्षेत्रों पर राज्य पुलिस के महानिदेशकों तथा सी पी ओ/ सी पी एफ की ओर से सक्रिय पारस्परिक क्रियाओं को प्रोत्साहित एवं संस्थागत बनाना। (गृह मंत्रालय का निदेश, सितम्बर, 2005) ।

(ज) भारत में आम आदमी को अपराध के वि-नय में सुग्राही बनाना तथा शिक्षित करना कि किस प्रकार वह पुलिस की मदद कर सकता है । (गृह मंत्रालय का निदेश, सितम्बर, 2005) ।

(झ) अन्य देशों में परिचालित ऐसी नीतियों तथा कार्यों के पृ-ठपट के खिलाफ अपराध तथा आतंकवाद के पीड़तों की क्षतिपूर्ति की समस्याओं पर ध्यान देना । (गृह मंत्रालय का निदेश, 2005) ।

(ञ) "सुशासन में पणधारियों के साथ अच्छा प्रभाव बनाए रखना " तथा संघ रा-ट्र जैसी अंतर्रा-ट्रीय संस्थाओं के साथ समायोजन करना ताकि विचारों एवं सुविज्ञता का व्यापक विनिमय हो सके । (गृह मंत्रालय का निदेश) ।

(ट) एक दृ-टिकोण/योजना/आयोजन रखना ताकि अंतर्रा-ट्रीय स्तर का विश्व-स्तरीय संगठन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । (गृह मंत्रालय निदेश -सितम्बर, 2005)

(ठ) सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां, श्रे-ठ पद्धतियां, मानक विकसित करना तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(ड) पुलिस हेतु नवीन दृ-टिकोण सृजित करना तथा 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने वाले प्रभावी उपकरण में रूपांतरित करना । (प्रधानमंत्री का निदेश, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006) ।

(ढ) सभी स्तरों पर पुलिस को सशक्त करना तथा जमीनी स्तर पर उसकी क्षमता में वृद्धि करना । (प्रधानमंत्री का निदेश, 6 अक्टूबर, 2006) ।

(तिरछे टाइप में छपे शब्द मेरे द्वारा जोड़े गए हैं ।)

आदर्शोक्ति

वर्तमान

5.7 उत्तम पद्धतियों और मानकों को प्रोत्साहन देना ।

प्रस्तावित

5.8 पुलिस के नवीन दृ-टिकोण का सृजन करना । (ये शब्द प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2006 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रयुक्त किए गए ।)

सिफारिश संख्या - 3

संगठनात्मक संरचना

5.9 मिशन वक्तव्य में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, उन्हें प्राप्त करने के लिए चाहिए कि : --

- अच्छे कर्मचारियों से युक्त मुख्यालय का कार्यालय ।
- सभी राज्यों की राजधानियों में शाखा कार्यालय ।

मुख्यालय का कार्यालय

वर्तमान समय में मुख्यालय की निम्नलिखित शाखाएं हैं : --

- अनुसंधान
- आंकड़ों का विश्ले-ण
- सांख्यिकी
- सर्वेक्षण
- विकास (आधुनिकीकरण)
- अंतर्रा-ट्रीय नीतियां
- प्रशिक्षण
- सामुदायिक शिक्षा
- विधि एवं कानून
- सुधारात्मक (कारावास)
- प्रशासन
- प्रकाशन

5.11 यह प्रस्ताव रखा गया है कि मात्र छः विभाग होने चाहिए जिसका नेतृत्व निदेशक (आई.जी.पी.) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाए । इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाए: --

1. अनुसंधान आंकड़ों का विश्ले-ाण, सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग ।
2. आधुनिकीकरण एवं अंतर्रा-ट्रीय नीति
3. प्रशिक्षण एवं सामुदायिक शिक्षा
4. मानकीकरण, विधि एवं कानूनी विभाग
5. सुधारात्मक (कारावास सेवाएं)
6. प्रशासन एवं प्रकाशन विभाग

प्रभागों के कर्तव्य और कार्य

5.12 इन प्रभागों के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित होंगे : ---

अनुसंधान प्रभाग

5.13 पुलिस के आधुनिकीकरण में अनुसंधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को स्वयं गंभीर अनुसंधान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए जिसमें समय बहुत न-ट होता है । इसके अतिरिक्त उसे सुधारों तथ उपचारों की अत्यावश्यकता के आधार पर विशि-ट अध्ययन, मार्गदर्शी अध्ययन तथा वस्तु-स्थिति अध्ययन भी करने चाहिए ।

5.14 यह देखा गया है कि पिछले 36 व-र्ों में जो अनुसंधान दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे अधिकतर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधिकारियों तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए हैं । अतः 1970 के प्रस्ताव का पालन किए जाने की आवश्यकता है जिसमें स्प-ट कहा गया है कि "अनुसंधान प्रभाग देश में पुलिस की समस्याओं तथा आवश्यकताओं की पहचान करेगा तथा इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों, विभिन्न

संस्थाओं, संगठनों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के अध्यक्षों, राज्यों के आईजीपी तथा अन्य एजेंसियों के समन्वयन के इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रवर्तित, प्रेरित तथा निर्देशित करेगा । इस उद्देश्य की प्राप्त हेतु अनुसंधान प्रभाग को ऐसे संगठनों तथा संस्थानों के साथ अर्थ-विवरणिका में प्रवेश करना पड़गा और उन्हें अनुसंधान कार्य के बड़े भाग के बाहरी सूत्र उपलब्ध कराने होंगे ।

5.15 अनुसंधान प्रभाग के समक्ष शैक्षिक विचारधारा वाले अधिकारी तथा कर्मचारी होने चाहिए और साथ ही पुलिस तथा गैर-पुलिस अधिकारियों का उपयुक्त मिश्रण होना चाहिए । पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित निवेश दे सकते हैं तथा योग्य शिक्षाविद उपयुक्त वि-नयों पर अनुसंधान करने हेतु निर्देशन दे सकते हैं ।

5.16 प्रभाग को अन्य राज्यों की पुलिस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए अनुसंधानों को एकत्रित करना चाहिए तथा उनसे प्राप्त निर्णयों को राज्यों अथवा सी पी ओ को वितरित करना चाहिए ।

5.17 अनुसंधान परियोजना प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल एवं संस्थागत बनाना चाहिए । नियतकालिक आधार पर एक उपयुक्त पुनर्निवेश (फीडबैक) प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसंधान की उपयोगिता तथा प्रायोगिकता को ज्ञात किया जा सके।

5.18 आंकड़ों का विश्ले-ण, सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विंगों के समक्ष ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिनके पास उन क्षेत्रों से संबंधित अपेक्षित अनुभव हो । ऐसे प्रयास किए जाएं कि रिक्तियां लम्बे समय तक खाली न रहें ।

5.19 अनुसंधान प्रभाग के लिए कर्मचारियों की भर्ती के नियम सरल होने चाहिए ताकि पद दीर्घकाल तक खाली न रहे ।

5.20 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के कार्य को कम करने के लिए उन्हें अल्पकाल के लिए अनुबंध के आधार पर अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ।

5.21 जैसा कि 29 सितम्बर, 2006 को गृह सचिव ने कहा कि सीपीओ/सीपीएमएफ तथा अन्य संगठनों के शैक्षिक मनोवृत्ति वाले अधिकारियों को शीघ्र ही पुलिस अनुसंधान एवं विकास प्रभाग से जोड़ लेना चाहिए ।

5.22 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए को-ा की पूर्ति हेतु पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ।

आधुनिकीकरण (विकास) प्रभाग

5.23 1970 का संकल्प कहता है, "विकास प्रभाग भारत तथा अन्य देशों में पुलिस कार्य के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बराबर कार्यरत रहेगा तथा भारत में पुलिस कार्यों में उपयुक्त उपकरण तथा तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के विचार के साथ-साथ नई प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का अध्ययन करेगा ।"

5.24 राज्यों तथा सीपीओ को दिए जाने वाले पैसे तथा उपकरण के मामलों में गृह मंत्रालय नियंत्रक प्राधिकरण है । एकरूपता को सुनिश्चित करने तथा इन हिताधिकारियों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक पर्व-शाखा बनानी चाहिए जो जांच के साथ-साथ सुझावात्मक प्रस्ताव दे सकें और उन्हें स्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय को भेज सकें ।

5.25 1970 के संकल्प को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने क लिए वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं तथा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों को गैजेट तथा हथियारों पर सलाह लेनी आवश्यक होगी । अतः उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त करना होगा ।

5.26 यह विभाग ई-शासित वि-ायों पर वेब प्रबंधन का प्रभारी होगा ।

5.27 प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को "वि-ाम युद्धों जैसी नई चुनौतियों, शहरी क्षेत्रों में नई प्रवृत्तियों तथा सामाजिक अशांति का सामना करने में समर्थ होना चाहिए ।" पुलिस मिशन की अनुवर्ती क्रिया के रूप में गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में "प्रौद्योगिकी को नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता" पर बल दिया जिससे पुलिस बल सर्वोत्तम क्षमता के साथ आतंकवादियों तथा देशद्रोहियों की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे जो आई.ई.डी., संचार, निगरानी आदि में कला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं । विकास विभाग के पास योग्य अधिकारी तथा

कर्मचारी होने चाहिए ताकि वे इन निदेशों को क्रियान्वित करने में पुलिस की सहायता कर सकें ।

प्रशिक्षण प्रभाग

5.28 पुलिस मिशन की स्थापना की घो-णा करते समय प्रधानमंत्री ने इस बात पर कि "शक्तियों के उचित विकेन्द्रीकरण तथा प्रदत्तीकरण द्वारा पुलिस को प्रत्येक स्तर पर सशक्त बनाने की ओर विशे-ा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे पुलिस की क्षमता को जमीनी स्तर से ही बढ़ाया जा सके ।"

5.29 पुलिस बल का करीब 85% हिस्सा सिपाहियों का है । जनता के साथ सीधा संपर्क इन सिपाहियों का ही होता है । वे ही पुलिस की छवि बनाते व बिगाड़ते हैं । यदि हम पुलिस की छवि में सुधार लाना चाहते हैं तो पुलिस के निचले स्तर अर्थात सिपाहियों के प्रशिक्षण पर विशे-ा ध्यान दिया जाए । प्रशिक्षण विभाग को सिपाहियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देना पड़ेगा । पुलिस अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की यह कोशिश होनी चाहिए कि ज्ञान, समझ, कौशल, आचार तथा व्यवहार में प्रशिक्षण मानदंडों के प्रतिपादन द्वारा सिपाहियों के स्तर को बढ़ाया जा सके ।

5.30 प्रशिक्षुओं की बड़ी संख्या के प्रशिक्षण तथा उनकी भर्ती को आश्वस्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

5.31 गुणवत्ता परीक्षण या तो भर्ती किए गए योग्य व्यक्तियों द्वारा करवाया जाए अथवा अनुबंध पर रखे गए योग्य व्यक्तियों द्वारा ।

5.32 सी.डी.टी.एस. में अस्थाई आनुपातिक पदों को शीघ्र ही अनुबंध के आधार पर 65 व-र् से कम आयु वाले अनुभवी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को रखकर भर देना चाहिए । महानिदेशक के पास उन्हें काम पर रखने तथा मौजूदा रिक्तियों को भरने की विशि-ट शक्तियां होनी चाहिए ।

5.33 प्रशिक्षण विभाग को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करने चाहिए जो आम आदमी को सिखा सके कि वह पुलिस की सहायता कैसे करे जिससे पुलिस बल गुणात्मक प्रभाव छोड़ सके ।

5.34 संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण संघ सूची में है । प्रशिक्षण निदेशालय को राज्यों को प्रभावित करना होगा तथा राज्यों और सीपीओ/ सीपीएमएफ में प्रशिक्षण संस्थाओं का मानकीकरण करना होगा ।

मानक प्रभाग

5.35 1970 का संकल्प मानकीकरण को व्यक्त करता है जिसके द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना हुई थी । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मानक प्रभाग को देशभर में नीति पालन के सभी पक्षों की एकरूपता को सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए ।

5.36 1979 की बैठक में अंतर्रा-ट्रीय संघ के पुलिस प्रमुख ने सिफारिश की कि पुलिस की प्रत्यायन इकाइयां होनी चाहिए जो पुलिस इकाइयों को मानक एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए मान्यता प्रदान करेगी । अमेरिका में विधि प्रवर्तन अभिकरण हेतु प्रत्यायन समिति है। रूस के घो-णणा-पत्र में उन पुलिस इकाइयों के लिए संकेत दिए गए हैं जिन्होंने निर्धारित मानदंड प्राप्त कर लिए हैं ।

5.37 मानक इकाई की स्थापना उन कार्यों को करने के लिए होनी चाहिए जिन्हें अभी आई.एस.आई. द्वारा संपन्न किया जा रहा है । कतिपय पुलिस इकाइयों ने भारतीय मानकीकरण संगठन का प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ऐसा संगठन होगा जो प्रमाणीकरण का कार्य करेगा ।

5.38 पुलिस स्टेशन द्वारा शिकायत प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार करने, मामले की जांच तथा उन पर मुकदमा चलाने तक की क्रियाओं के सभी पक्षों में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करना अत्यंत आवश्यक है । इसका उददेश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये पद्धतियां काम कर रही हैं और इसी प्रकार की समान पद्धतियां समस्त भारत में सफल होनी चाहिए । मानक प्रभाग को ऐसी पद्धतियों को प्रतिपादित करने तथा सभी राज्यों में परिचालित करने में सहायता करनी चाहिए ।

5.39 कुछ राज्यों में इस पद्धति को लघु स्तर पर लागू किया जा चुका है और उन इकाइयों में इसने व्यापक व्यावसायिकता उत्पन्न की है ।

5.40 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को प्रशिक्षण तथा अन्य वि-नयपरक अध्ययनों पर और अधिक फिल्में बनानी चाहिए और उन्हें सभी राज्यों में वितरित करना चाहिए ।

सुधारात्मक प्रभाग

5.41 सुधारात्मक विभाग कैदियों के मानव अधिकारों से संबंधित सुधारों के सभी वि-नयों को संबोधित करेगा जिनकी अब तक (एक सीमा तक) उपेक्षा की गई है लेकिन यह अतिसंवेदनशील वि-नय है ।

5.42 यह नीतियों, कानूनों, प्रशिक्षणों, अनुसंधानों, प्रक्रियाओं, सुधार कार्यक्रमों, घटनाओं, सम्मेलनों, प्रकाशनों, आधुनिकीकरण, सुरक्षा संबंधी, वास्तुकला आदि का प्रवर्तन एवं समन्वयन करेगा ।

5.43 अतिरिक्त कर्मचारियों की अनुमति नहीं दी जाएगी । हालांकि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सन 1995 में सुधारात्मक प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है ।

5.44 जो कर्मचारी रखे जाएं उन्हें अवश्य ही समाजविज्ञान, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र में तथा कारागार पुलिस विभाग से संबंधित होना चाहिए ।

प्रशासन प्रभाग

5.45 प्रशासन प्रभाग के समक्ष एक प्रशासन तथा संगठन एवं एक समन्वयन शाखा होनी चाहिए ।

5.46 पुनःसंरचना हेतु नियुक्त की गई एजेंसियों ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के विभिन्न अधिकारियों के लिए निर्धारित विशि-ट कार्यों की कमी पर टिप्पणी की है जो दैनिक कार्यों को करने के कारण समय पर नहीं हो पाते । कर्तव्यों के विशि-ट विनियोजन से युक्त एक

मजबूत प्रशासन शाखा अन्य अधिकारियों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने में मदद करेगी जिनकी अपेक्षा उन अधिकारियों से की जाती है ।

5.47 समन्वयन प्रभाग समन्वयन के अतिरिक्त प्रकाशन कार्य को भी देख सकता है । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पास सबसे बड़ा पुलिस पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें पुलिस, प्रशिक्षण पद्धति, सुधारात्मक सेवाएं, अपराध-विज्ञान आदि पर किताबें, लेख तथा शोध-पत्र होने चाहिए । यह पुस्तकालय इंटरनेट पर भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी जब चाहे इस सामग्री का लाभ उठा सके ।

सिफारिश संख्या - 4

शाखा कार्यालय

5.48 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को वास्तव में रा-ट्रीय संस्था बनाने तथा देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में इस संस्था की एक शाखा हो जिसका प्रमुख डीआईजी स्तर का अधिकारी होना चाहिए । नई दिल्ली के वि-नय में कहा जा सकता है कि इसका प्रमुख आईजी स्तर का अधिकारी हो क्योंकि उसे सिर्फ दिल्ली पुलिस के साथ ही संबंध स्थापित नहीं करना होगा बल्कि केन्द्रीय पुलिस संगठन के साथ भी संपर्क स्थापित करना होगा जिसके पास व्यापक शक्ति है ।

5.49 सहायक निदेशक पद का एक अधिकारी 6 समिति प्रभागों के प्रत्येक प्रभाग का प्रभारी होगा, जो इस प्रकार है : --अनुसंधान, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण, मानकीकरण, सुधारात्मक कार्य तथा प्रशासन ।

5.50 राज्यों में नियुक्त अधिकारी उपरोक्त शाखाओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य पुलिस तथा कारागार मुख्यालय से निकट संबंध बनाए रखने में समर्थ होंगे ।

5.51 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की राज्य इकाइयों के बिना भारत सरकार राज्य पुलिस को केन्द्र के निकट लाने में समर्थ नहीं हो सकेगी और जैसा कि प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि पुलिस मिशन की व्यवस्था द्वारा इसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए तथा देश भर में नीति में एकरूपता लाने में सहायता की जाए, वह भी नहीं हो पाएगा । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को घो-णणा-पत्र में दिए गए कर्तव्यों के सर्वोत्तम अनुपालन को भी सुनिश्चित करना होगा ।

शाखा कार्यालयों के कर्तव्य

5.52 शाखा कार्यालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय से मार्गदर्शिका के संबंध में तथा आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित निधि एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव के वि-नय में राज्य पुलिस मुख्यालयों से निकट संबंध एवं समन्वयन बनाए रखेगी । राज्य पुलिस मुख्यालय इन प्रस्तावों को गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के पास भी भेज सकता है । यह एकरूपता को सुनिश्चित करेगा तथा परिहार्य अपव्यय को दूर करेगा ।

5.53 शाखा कार्यालय विभिन्न संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, पुलिस महानिदेशकों, व्यक्तियों तथा अन्य एजेंसियों से संबंध बनाए तथा मुख्यालय कार्यालय से अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदान किए जाने की सिफारिश करे ।

5.54 शाखा कार्यालय को पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा प्रशिक्षण पुस्तिकाओं तथा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ।

5.55 शाखा कार्यालय पुलिस स्टेशन की इमारतों, प्रशिक्षण तथा पुलिस कार्यों से संबंधित अन्य मामलों के मानक निर्धारित करेगा तथा प्रत्यायन कार्य हेतु कर्मचारी भी नियुक्त करेगा ।

5.56 राज्यों में जिन सर्वश्रे-ठ पद्धतियों को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है शाखा कार्यालय उन्हें ज्ञात कर मुख्यालय कार्यालय के समक्ष प्रसार हेतु भेजेगी ।

5.57 शाखा कार्यालय राज्य में कारागारों से सम्पर्क बनाएगी और सुधारात्मक कार्य के सभी पक्षों पर विचार करेगी ।

5.58 संक्षेप में, शाखा कार्यालय नीति संबंधी सभी मामलों में गृह मंत्रालय तथा राज्यों के बीच कड़ी की भूमिका निभाएगा ।

रोड मैप

परिचय

6.1 18 सितम्बर, 2006 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक ने गृह सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण पेश किया जिसमें यह बताया गया कि घो-णणा-पत्र में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो किस सीमा तक समर्थ था, संसाधनों के संबंध में इसकी सीमाएं तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को पुनः उर्जस्वित करने तथा नवीकरण हेतु कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएं । फलस्वरूप गृह सचिव ने इच्छा प्रकट की कि आगामी एक व-र्, तीन व-र् तथा पांच व-र् के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो सापेक्ष महत्व निर्मित करे तथा इसके क्रियान्वयन, प्रयोगाश्रित निर्गमों से संबंधित विशि-ट मार्गदर्शी योजना का निर्माण करें और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित संसाधनों का उल्लेख करें ।

6.2 इस पुःन संरचनात्मक प्रस्ताव में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

6.3 **एक व-र्**

I. फरवरी, 2003 में भेजे गए कर्तव्यों के घो-णणा-पत्र को प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के नजरिये को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए । यह संशोधित घो-णणा-पत्र जब भी भेजा जाएगा, अवश्य ही स्वीकृत होगा ।

II. 23 अक्टूबर, 2003 को भेजा गया प्रस्ताव भी मंजूर किया जाए जिसमें महानिदेशक की वित्तीय क्रियात्मक शक्तियों की बात कही गई है । ये शक्तियां अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन/सीपीएमएफ के प्रमुखों के समान समझी जाएंगी ।

III. रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति अथवा अस्थाई तौर पर भरा जाए ।

IV. सी डी टी एस में खाली पदों को अनुबंध के आधार पर एक निश्चित समय के लिए भरने की शक्ति महानिदेशक को दी जाए ।

V. सभी राज्यों में संगठन की शाखाएं खोलने के लिए गृह मंत्रालय को नियमानुसार स्वीकृति देनी होगी ।

VI. सी डी टी एस को संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला जाए ।

VII. भर्ती के नियमों को बदला जाए और उन्हें अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के समान बनाया जाए ताकि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखना सरल हो सके ।

VIII. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया नाम रा-ट्रीय पुलिस ब्यूरो रखा जाए । (अनुसंधान, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण तथा सुधारात्मक सेवाएं)

6.4 **तीन व-र्ा**

I. संगठन की शाखाएं सभी राज्यों के साथ-2 नई दिल्ली में भी खोली जाएं ।

II. कर्मचारियों की मंजूरी दी जाए तथा रिक्तियों को भरा जाए ।

III. नई दिल्ली सहित सभी राज्यों में शाखाओं के लिए भवनों का निर्माण किया जाए ।

IV. एक भोजनालय (मेस) तथा एक कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाए जिसमें एक सम्मेलन कक्ष, सभा-भवन तथा कक्षा कक्ष हो ।

6.5 **पांच व-र्ा**

I. पुलिस एजेंसियों के साथ-साथ कारागारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए संगठन को योग्यता विकसित करनी चाहिए ।

II. पुलिस कार्य के सभी पक्षों के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि बनाई जाए ताकि यह व्यवस्था काम कर सके ।

III. जनता-पुलिस की भागीदारी को संस्थागत बनाए जाए ।

IV. पुलिस प्रशिक्षण में पूर्ण एकरूपता तथा पुलिस सिपाहियों के स्तर को ऊंचा उठाना पुलिस की छवि में चौतरफा सुधार लाएगा ।

V. अन्य संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित किया जाए तथा देशभर में पुलिस की क्षमता तथा प्रभाविता में परिवर्तन लाने के बारे में अपनाई गई नीति के सभी पक्षों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए ।

6.6 **अनुसंधान प्रभाग**

एक व-र्ा

- 29 राज्य विशे-न अध्ययनों का प्रवर्तन ।

- 4 क्षेत्रीय तथा 1 रा-ट्रीय अध्ययन को पूर्ण करना ।
- पुलिस अनुसंधान पर स्थायी समिति के उप वर्गों द्वारा अभिज्ञापित 16 अनुसंधान प्रस्तावों को प्रवर्तित किया जाए ।
- आधुनिकीकरण योजनाओं के प्रभाव विश्ले-ण का संचालन करने के लिए साधन विकसित किए जाएं ।
- कम से कम 10 विश्वविद्यालयों सहित एम ओ यू के लक्षण ।
- पुलिस संबंधी वि-नयों में 6 शिक्षावृत्ति प्रदान की जाए ।
- पुलिस संगठनों पर आधारित आंकड़े, सार-संग्रह, रिपोर्ट तथा भारतीय पुलिस पत्रिका का प्रकाशन ।
- सामयिक वि-नयों पर एक अनुसंधान विद्वत सम्मेलन, दो रा-ट्रीय सम्मेलन तथा चार सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित की जाएं ।
- पुलिस के व्यवहार द्वारा बनी पुलिस बल की छवि पर अनुसंधान किया जाए तथा पुलिस स्टेशन भवनों को जनता के अनुकूल बनाया जाए ।
- पीड़ितों की क्षतिपूर्ति हेतु रा-ट्रीय नीति के निर्माण के लिए प्रवर्तन ।

<u>तीन व-र्ा</u>

- राज्य पुलिस बलों के सशक्तिकरण को समझने, विश्लेनित करने तथा समस्याओं का सामना करने की प्रतिक्रियाओं पर कम से कम 90 अनुसंधान अध्ययन किए जाएं ।
- सूचनाओं के विनिमयन, श्रे-ठ समन्वयन हेतु रणनीति लागू करने में मदद करने तथा राज्य समूहों द्वारा जनादेश का सामना करने में आने वाली समस्याओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं पर 15 अध्ययन ।
- देश में प्रभावी, कुशल तथा सशक्त नीतियों के लिए बनाई गई योजनाएं तथा निर्णयों पर कम से कम 3 रा-ट्रीय स्तर के अध्ययन ।
- तीन से अधिक अनुसंधान सार-संग्रह, 12 पुलिस पत्रिकाएं तथा अनेक अनुसंधान पत्र, अध्ययन तथा किताबें, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जा सके जिससे नीतियों

के निर्धारण में व्यवस्थित सामुदायिक भागीदारी के लिए रणनीति को प्रभावी बनाने के वि-नयों पर विचार को सुनिश्चित किया जा सके ।

- प्रति-ठित संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि द्वारा तीन रा-ट्र आधारित अनुसंधान अध्ययन कराए जाएं ।
- कम से कम 6 रा-ट्रीय सम्मेलन तथा 12 कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए जाएं।
- निरंतर चल रहे अनुसंधान अध्ययनों तथा एम पी एफ योजनाओं का निरीक्षण तथा रा-ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाओं का आयोजन तथा उनकी प्रतिक्रिया को कार्यान्वित करना ।

<u>पांच व-र्</u>

- राज्य पुलिस बल के सशक्तिकरण को समझने, विश्लेनित करने तथा उनके द्वारा समस्याओं का सामना करने की प्रतिक्रियाओं पर 120 अनुसंधान अध्ययन ।
- श्रे-ठ समन्वयन हेतु रणनीति लागू करने, सूचनाओं के विनिमयन तथा राज्य समूहों द्वारा जनादेश का सामना करने में आने वाली बाधाओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं पर 45 अध्ययन ।
- पांच से अधिक अनुसंधान सार-संग्रह, 20 पुलिस पत्रिकाएं तथा अनेक शोध-पत्र, अध्ययन तथा पुस्तकें, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जा सके, जिससे नीति निर्धारण में व्यवस्थित सामुदायिक भागीदारी हेतु रणनीति को प्रभावी बनाने के वि-नयों पर बाहरी चिन्तन को सुनिश्चित किया जाए ।
- प्रति-ठित संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि द्वारा 5 रा-ट्र आधारित शोध-अध्ययन।
- कम से कम 10 रा-ट्रीय सम्मेलन तथा 20 कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए जाएं ।
- एम पी एफ परियोजना का निरीक्षण ।

- जिन क्षेत्रों में शोध अध्ययन की आवश्यकता है उन्हें ज्ञात करना तथा शोधकर्ताओं/संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ तादात्म्य स्थापित कर बाह्य प्रमाण दिए जाएं ।
- रा-ट्रीय सम्मेलन, कार्यशाला का आयोजन तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को क्रियान्वित करना ।

6.7 आधुनिकरण (विकास) प्रभाग

एक व-र्

- जांच अधिकारियों के लिए मानक खोज उपकरण (किट)
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए मानक न्यायिक उपकरण ।
- पुरू-ा तथा महिला पुलिस अधिकारियों के लिए मानक तथा उन्नत वर्दी ।
- प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप सहित आदर्श दुर्घटना स्थल जांच तकनीकी ।
- आवासीय क्षेत्र में लम्बी दूरी के गोलीबारी के लिए कम लागत और सुरक्षा उपस्करों की रचना ।
- सैन्य बल हेतु प्रस्तावित चल शौचालयों का निरीक्षण ।
- सिपाहियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु नए जूतों की बनावट को अंतिम रूप देना ।
- फरवरी, 2007 में प्रौद्योगिकी पर विद्वत गो-ठी ।

तीन व-र्

- पुलिस कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वर्दियों की डिजाइन ।
- नए उत्पादों का परीक्षण ।
- प्रारम्भ किए जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए प्रभावी विश्ले-ाण किया जाए ।
- पुलिस बलों के सर्व-उद्देशीय गश्ती वाहन की डिजाइन ।
- नए आदर्श पुलिस स्टेशन भवनों का विकास ।
- शिल्पविज्ञानी परिवर्तनों के सौजन्य से मौजूदा क्वार्टरों को आधुनिक बनाना ।

- पुलिस निदेशालय के जैकेटों तथा हेलमेटों की समीक्षा ।
- विद्वत गो-ठी ।
- विगत व-र्ों में प्राप्त किए गए तथा निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा ।
- भीड़ को नियंत्रण करने के गैर-प्राणघातक पद्धतियों/तरीकों, शस्त्रों, गोला-बारूद आदि का विकास ।
- पुलिस विभाग में हेलमेट, जैकेट तथा गाड़ी आदि के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी की समीक्षा ।

6.8 प्रशिक्षण प्रभाग

मानव संसाधन योजना का विकास

i. प्रथम व-र्ा के अन्त तक -2 राज्य

ii. तृतीय व-र्ा के अन्त तक -8 और राज्य

iii. पंचम व-र्ा के अन्त तक -10 और राज्य (कुल 20)

2. प्रत्येक राज्य में प्रत्येक श्रेणी के वांछनीय तथा वास्तविक कार्य नि-पादन का मूल्यांकन तथा उपयुक्त प्रशिक्षण मध्यस्थता का विकास ।

i. पहले व-र्ा के अन्त तक -1 राज्य

ii. तीसरे व-र्ा के अन्त तक -5 और राज्य

iii. पांचवे व-र्ा के अन्त तक -6 और राज्य (कुल 12)

3. प्रत्येक राज्य में जांच-पड़ताल की गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आवि-कार तथा विकास ।

i. पहले व-र्ा के अन्त तक -1 राज्य

ii. तीसरे व-र्ा के अन्त तक -3 और राज्य

iii. पांचवे व-र्ा के अन्त तक -6 और राज्य (कुल 10)

4. मुख्यालय अधीक्षक हेतु आरक्षित कौशलों (श्रवण, परामर्श, संचार आदि) का हस्तक्षेप।

i. पहले व-र् के अन्त तक -100 थानाध्यक्ष

ii. तीसरे व-र् के अन्त तक -900 थानाध्यक्ष

iii. पांचवे व-र् के अन्त तक -4000 थानाध्यक्ष (कुल 5000)

5. प्रत्येक श्रेणी की विशे-नताओं और क्षमताओं का मूल्यांकन तथा उचित उपकरणों का विकास तथा उनकी वैधता ।

i. तीसरे व-र् के अन्त तक -2 श्रेणी

ii. पांचवे व-र् के अन्त तक -शे-ा तीन श्रेणियां

6. राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन ।

i. पहले व-र् के अन्त तक -1 राज्य

ii. तीसरे व-र् के अन्त तक -2 और राज्य

iii. पांचवे व-र् के अन्त तक -6 और राज्य (कुल9)

7. पुलिस कर्मचारियों के अपेक्षित तथा मौजूदा व्यवहार के बीच अन्तर का विश्ले-ाण तथा मध्यस्थ सुझाव ।

यह एक पंचव-ीय परियोजना है ।

8. विभिन्न रैंकों के लिए पूर्व-पदोन्नति पाठ्यक्रमों का विकास ।

यह पांच व-र् में सम्पन्न होगा ।

9. प्रशिक्षण हेतु कृत्रिम अभ्यास का विकास ।

i. तीसरे व-र् के अन्त तक -1 अभ्यास

ii. पांचवे व-र् के अन्त तक -3 और अभ्यास (कुल -4)

10. प्रशिक्षक को स्वतंत्र तथा तटस्थ बनाने हेतु चलचित्र, प्रभावी मापदंड तथा अभ्यास पुस्तिका/नियम पुस्तिकाओं का विकास ।

i. पहले व-र् के अन्त तक -05

ii. तीसरे व-र् के अन्त तक -20

iii. पांचवे व-र् के अन्त तक -60 और राज्य (कुल 85)

11. जिन सिविल पुलिस अधिकारियों की हाल ही में भर्ती हुई उनके लिए 3 व-र्ीय पाठ्यक्रम का विकास तथा वर्तमान प्रणाली को नवीन प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाए जाएं ।

तीन व-र् में सम्पन्न किया जाए ।

12. हत्या @ 2 प्रति जिला, आर्थिक अपराध @ 1 प्रति परिसर, यातायात दुर्घटना @ 2 प्रति जिला, साइबर अपराध @ 1 प्रति परिसर, सम्पति अपराध @ 2 प्रति परिसर हेतु विशि-ट जांचकर्ता प्रदान किए जाएं ।

5 से 7 व-र् के अंत तक संपन्न किया जाए ।

13. मानव अधिकार @ 2 प्रति जिला, मानव व्यापार @ 1 प्रति जिला, बम एवं विस्फोटक @ 1 प्रति जिला, हथियार एवं रणकौशल @ 2 प्रति जिला, पूछताछ तकनीक @ 1 प्रति जिला, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीआईपी) सुरक्षा @ 2 प्रति जिला, ड्रिल तथा शारीरिक प्रशिक्षण @ 2 प्रति जिला, न्यायिक विज्ञान @ 1 प्रति जिला, रिकार्ड प्रबंधन @ 1 प्रति जिला, परिकलक एवं संसाधित्र @ 2 प्रति जिला, कार्यालय प्रक्रिया एवं नियम @ 1 प्रति जिला, वित्तीय लेखांकन @ 1 प्रति जिला में विशि-ट कर्मचारियों का विकास ।

5 से 7 व-र् के अंत तक संपन्न किया जाए ।

14. प्रशिक्षण प्रबंधन के निरीक्षण अधिकारियों का विवरण ।

3 व-र्ों में संपन्न किया जाए ।

15. पुलिस कर्मचारियों के लिए शिक्षा नीति का विकास ।

पांच व-र्ों में संपन्न किया जाए ।

16. बुद्धि कौशल में एक नियमपुस्तिका तथा प्रणाली का विकास ।

    पांच व-र्ा के अंत तक संपन्न किया जाए ।

17. घात टुकड़ियों, पुलिस पर आक्रमण, अपर्याप्त पुलिस प्रतिक्रिया आदि के प्रासंगिक अध्ययनों का विकास ।

    तीन व-र्ा के अन्त तक 5 मामले ।

18. प्रशिक्षुओं हेतु प्रेरक प्रस्तुत करना ।

    तीन व-र्ा के अन्त तक ।

सुधारात्मक सेवाएं

सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग क्या कर सकता है ?

- कारागार प्रबंधन में श्रे-ठ पद्धति एवं प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र शासित प्रशासनों तथा राज्य सरकारों को प्रवर्तित एवं निर्देशित करने के लिए केन्द्रक अभिकरण की भूमिका निभा सकती है ।
- कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण का निरीक्षण करने में सलाहकार की भूमिका निभा सकता है ।
- विविध कारागार कार्यक्रमों तथा पद्धतियों के प्रभावी विश्ले-ाण का संचालन कर सकता है जिसमें कारागार प्रशासन योजना का आधुनिकीकरण भी शामिल हो ।
- कारागार प्रशासन संबंधी विविध वि-ायों पर प्रश्न अधिको-ा (Question Bank) विकसित कर सकता है ।
- आर आई सी ए तथा राज्यों में स्थित अन्य कारागार प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नेटवर्क विकसित कर सकता है ।
- कारागार अधिकारियों को अपने व्यावसायिक कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकती है ।

- रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने तथा शोध-परियोजनाओं के उत्तरदायित्व के लिए विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थानों/अनुसंधान संगठनों तथा विशि-ट सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ संपर्क बना सकती है ।
- गृह मंत्रालय तथा राज्य कारागार विभाग सहित क्षेत्रीय, रा-ट्रीय तथा अंतर्रा-ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व ।
- विविध कारागार कार्यक्रमों पर सूचनाएं एकत्रित एवं वितरित कर सकती है तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रशासनों की अपेक्षा रा-ट्रीय तथा अंतर्रा-ट्रीय प्रभाव से पद्धतियां अर्जित कर सकता है ।
- कारागार प्रशासन में परिचालित बाधाओं के वि-नय में सुधारात्मक प्रशासकों के लिए रा-ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान कर सकता है ।
- मानव संसाधन विकास हेतु क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ रा-ट्रीय स्तर पर फोरम प्रदान कर सकता है ।

सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग की आवश्यकता

एक उपनिदेशक, दो सहायक निदेशक, दो शोध अधिकारी, एक विधि अधिकारी, एक विभाग अधिकारी, एक सांख्यिकी अधिकारी, तीन जांचकर्ता, एक निजी सहायक, दो सहायक, दो आशुलिपिक, दो उच्च विभागीय लिपिक तथा दो निम्न विभागीय लिपिक सहित सहायक कर्मचारियों का एक पूर्ण विभाग ।

उपरोक्त कर्मचारियों को संचार एवं यातायात सुविधाओं से समुचित रूप में सुसज्जित होना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें ।

पृथक प्रधान के अधीन उपयुक्त वित्तीय अनुदान का निर्धारण ।

महानिदेशक की वित्तीय शक्तियों के लिए प्रत्यायोजन, अनुसंधान परियोजनाओं, प्रशिक्षण कायक्रमों तथा सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन तथा समस्त भारतीय कारावास कर्तव्य पालन की स्वीकृति हेतु पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग ।

महानिदेशक की वित्तीय शक्ति हेतु प्रत्यायोजन, परामर्शदाताओं को किराए पर रखने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ।

सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग की मार्गदर्शिका

एक व-र्

- जिन क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान की गई है उन पर 10 अनुसंधान परियोजनाओं का आरंभ ।
- कारावास सुधार के विभिन्न वि-नयों पर 7 प्रशिक्षण चलचित्रों की रचना ।
- कारावास अधिकारियों के लिए पांच प्रत्यक्ष प्रभाव पाठ्यक्रमों का आयोजन ।
- कारावास प्रबंधन में मानवाधिकारों पर 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- कारावास अधिकारियों के लिए 12 देखना ही सीखना है (एस आई एस) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- विभिन्न प्रकार के कारावासों के आदर्श वास्तुशिल्पीय रूपरेखा/योजना के निर्माण के लिए कार्यवाही को समन्वित एवं आरंभ करना ।
- तिहाड़, नई दिल्ली में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कारावास अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- व्यक्तित्व विकास पर कारावास अधिकारियों के लिए 12 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों के सार-संग्रह का प्रकाशन ।
- कारावास कार्यक्रम, 2006 में शामिल गैर-सरकारी संस्थाओं के सार-संग्रहों के अद्यतन विवरण का प्रकाशन ।
- भारतीय कारावास अधिकारियों की निर्देशिका, 2006 का प्रकाशन ।
- सुधारात्मक प्रशासन तथा कारावास सुधार पर रा-ट्रीय नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देना ।

- कारावास प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना का अनुश्रवण करना ।
- महानिदेशकों/कारावास महानिरीक्षकों तथा समस्त राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के सचिवों के समस्त भारतीय सम्मेलन का आयोजन ।
- समस्त भारतीय कारावास कर्तव्य सभा का आयोजन ।
- तीन अनुसंधान परियोजनाओं को पूर्ण करना ।

तीन व-ा

- प्राथमिकता के आधार पर पहचाने गए क्षेत्रों पर 30 अनुसंधान परियोजनाओं की शुरूआत ।
- कारावास सुधार के विभिन्न वि-नयों पर 21 प्रशिक्षण चलचित्रों की रचना ।
- कारावास अधिकारियों के लिए पन्द्रह प्रभाव पाठ्यक्रमों का आयोजन ।
- कारावास प्रबंधन में मानवाधिकारों पर 72 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- कारावास अधिकारियों के लिए 36 देखना ही सीखना है (एस आई एल) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- तिहाड़, नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर कारावास अधिकारियों हेतु 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- व्यक्तित्व प्रशासन के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों के सार-संग्रहों के अगले संस्करण का प्रकाशन ।
- कारावास कार्यक्रम, 2007 तथा 2008 में शामिल गैर-सरकारी संस्थाओं के सार-संग्रहों के अद्यतन विवरणों का प्रकाशन ।
- गृह मंत्रालय के परामर्श सहित कारावास प्रशासन की आधुनिकीकरण परियोजना का प्रभावी मूल्यांकन ।
- सभी राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के महानिदेशकों/कारावास महानिरीक्षकों तथा सचिवों के समस्त भारतीय सम्मेलन का आयोजन ।
- समस्त भारतीय कारावास कर्तव्य सभा का आयोजन ।
- कम से कम 20 अनुसंधान परियोजनाओं को पूर्ण करना ।

परिशि-ट -I

सं0 8/136/68-पी.I(पर्स-I)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

28 अगस्त, 1970

संकल्प

भारत सरकार ने देश में पुलिस संगठन, प्रणाली तथा पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं । 1963 में जब केन्द्रीय अन्वे-ाण ब्यूरो की स्थापना हुई थी, तब इसमें एक अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी प्रभाग तथा एक अनुसंधान प्रभाग स्थापित हुआ था । 1966 में एक पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परि-ाद इसके कार्यों के निरीक्षण, निर्देशन तथा मार्गदर्शन के लिए गठित किया गया । आधुनिकीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की तत्काल प्रभाव सहित स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो बदलते हुए समाज में पुलिस की समस्याओं की गत्यात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा तथा इस वि-ाय में अधिक प्रत्यक्ष तथा सक्रिय रूप से रूचि लेगा । साथ ही देश में पुलिस की पद्धतियों तथा तकनीकों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के तत्काल प्रयोग पर विचार करेगा ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निम्नलिखित प्रभाग होंगे : --

i. अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन

ii. विकास

उपरोक्त विभागों के कार्यों का घो-ाणा-पत्र परिशि-ट में दिया गया है : --

अनुसंधान विभाग देश में पुलिस सेवाओं की आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पहचान करेगा और इस वि-ाय में रूचि लेने वाले व्यक्तियों तथा एजेंसियों, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों,

मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं के अध्यक्षों तथा राज्यों के पुलिस के महानिरीक्षकों के सहयोग से इस क्षेत्र में शोध को प्रवर्तित, प्रेरित तथा निर्देशित करेगा ।

विकास प्रभाग भारत तथा अन्य देशों में पुलिस कार्यों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में विकास का कार्य करेगा तथा भारत में पुलिस कार्यों में उपयुक्त उपकरण तथा तकनीकों को आरंभ करने को प्रोत्साहित करने के विचार सहित नवीन प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अध्ययन करेगा ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जो परीक्षण संचालित करेगा उनके परिणामों को राज्य पुलिस बलों को जानकारी एवं उपयुक्त कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाएगा ।

भारत सरकार को सलाह देने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग राज्य सरकारों को इसकी कार्यवाही के क्षेत्र में आने वाले वि-नयों पर सलाह प्रदान करेगा ।

ह0/

एल. पी सिंह

सचिव, भारत सरकार

सतत - 2/-

तत्काल

संख्या-5/136/68.पी.आई(पर्स-I), नई दिल्ली-1, 28 अगस्त, 1970

आदेश -आदेश है कि संकल्प की वि-नयवस्तु की एक प्रति सभी राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासनों, निदेशकों, केन्द्रीय अन्वे-ाण ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रा-ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक, केन्द्रीय न्यायिक संस्थान के आदेशक तथा भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा विभागों के पास होनी चाहिए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प का प्रकाशन भारत के राजपत्र में भी किया जाए ।

ह0/

एल. पी सिंह

सचिव, भारत सरकार

परिशि-ट

अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन प्रभाग

1. पुलिस की सामान्य प्रकृति को प्रभावित करने वाले अपराध तथा समस्याओं का अध्ययन तथा विश्ले-ण, जैसे --
   - (क) अपराध के समय तथा कारण
   - (ख) अपराध की रोकथाम -निवारक मानदंड, अपराध के साथ उनका संबंध तथा उनकी प्रभाविता,
   - (ग) संगठन, प्रशासन, पुलिस बल तथा उनकी आधुनिकीकरण की पद्धति तथा तकनीक,
   - (घ) जांच-पड़ताल की पद्धतियों में सुधार, नवीन वैज्ञानिक सहायता तथा उपकरणों की उपयोगिता तथा परिणाम,
   - (ड.) कानून की अपर्याप्तता,
   - (च) बाल अपराध ।
2. राज्यों में पुलिस अनुसंधान प्रगति में सहायक शोध परियोजनाओं का प्रक्रम तथा समन्वयन, बाह्य अनुसंधान को प्रवर्तित करना ।
3. पुलिस अनुसंधान सलाहकार/परि-द से संबंधित कार्य ।
4. पुलिस समस्याओं के अध्ययन से संबंधित सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भागीदारी तथा इनका आयोजन ।
5. सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध निवारण कार्यक्रम में भागीदारी ।
6. अपराध निवारण तथा अपराधियों से व्यवहार के क्षेत्र में रा-ट्र संघ के कार्यों में भागीदारी ।
7. अनुसंधान क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन ।
8. समग्र भारतीय अपराध सांख्यिकी का रख-रखाव ।
9. आपराधिक प्रवृतियों का सांख्यिकीय विश्ले-ण ।
10. पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान से संबंधित प्रलेखन ।
11. निम्न का प्रकाशन :

I. शोध रिपोर्ट, समाचार पत्र तथा शोध एवं विकास पत्रिकाएं ।

II. भारत में अपराध ।

III. आत्महत्या, दुर्घटना, हत्या सम्पत्ति वसूली तथा पुलिस हित की अन्य जानकारी से संबंधित रिपोर्ट तथा समीक्षाएं ।

विकास प्रभाग

भारत में सुरक्षा बलों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नि-पादन तथा निम्न क्षेत्रों में नवीन उपकरणों के विकास की समीक्षा :--

I. शस्त्र तथा गोला बारूद,

II. दंगे नियंत्रक उपकरण

III. यातायात नियंत्रक उपकरण

IV. पुलिस यातायात, तथा

V. जांच पड़ताल हेतु सहायता सहित विविध वैज्ञानिक उपकरण ।

2. रा-ट्रीय प्रयोगशाला तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थाओं तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्यम से संपर्क विकास कार्यक्रमों का समन्वयन तथा पुलिस उपकरण के देशी उत्पादन को प्रेरित करना ।
3. पुलिस कार्य के विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ।
4. केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान सलाहकार कमेटी के कार्यों में भागीदारी ।
5. केन्द्रीय चिकित्सक विधिक संस्थान तथा केन्द्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान की स्थापना संबंधित कार्य ।
6. समस्त भारतीय एकीकरण अधिकारी सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों एवं सेमिनारों का द्विवार्-िक आयोजन, जिसमें पुलिस कार्य हेतु विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के प्रयोग की चर्चा की जाए ।

7. दंगे निवारक उपकरण के अंतर्गत महानिदेशकों की स्थायी कमेटी के पुलिस सम्मेलनों से संबंधित कार्य ।

परिशि-ट - II

संख्या - 34/1/73-बीपीआर एंड डी/जीपीए-I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

13, सितम्बर, 1973

संकल्प

1. देश में पुलिस बल की समग्र सक्षमता के सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1971 में पुलिस प्रशिक्षण पर एक कमेटी स्थापित की गई थी जो पुलिस के प्रशिक्षण पहलुओं का अध्ययन करेगी और पुलिस में आचरणगत परिवर्तन लाने हेतु सिफारिशें देगी । साथ ही बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखेगी । इसकी सिफारिशों के आधार पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया । जो राज्यों/संघ राज्यों को पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर सहायता एवं परामर्श प्रदान करेगा ।

2. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत प्रशिक्षण निदेशालय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की देखरेख करेगी और पुलिस प्रशिक्षण की भावी जरूरतों को निर्धारित करने तथा वर्तमान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगी । यह राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य अकादमी निकायों से संपर्क रखेगी तथा आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण एवं परिचालन में सहायता करेगी ।

प्रशिक्षण निदेशालय के निर्माण के साथ, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 3 प्रभाग होंगे : --

I. अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन प्रभाग

II. विकास प्रभाग

III. प्रशिक्षण प्रभाग

इन प्रभागों के कार्य-कलाप परिशि-ट में ऐसे ही निर्धारित किए जाएंगे जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व प्रस्ताव संख्या 8/136/68-।(पर्स-।) दिनांक 28 अगस्त, 1970 के परिशि-ट में वर्णित कार्यकलापों का प्रतिस्थापन करेंगे ।

ह0 /-

(एन. के. मुखर्जी)

सचिव, भारत सरकार

संख्या 34/1/73-बीपीआर एंड डी/जीपीए-।, नई दिल्ली-110001, 13 सितम्बर, 1973

आदेश : -आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्यों के प्रशासनों, खुफिया विभाग के निदेशक, केंद्रीय अन्वे-ण ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल के निदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रा-ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक, अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान के निदेशक, केन्द्रीय न्यायिक संस्थान के कमांडेंट तथा भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों को संप्रेि-त की जाए ।

सामान्य जानकारी हेतु प्रस्ताव का प्रकाशन भारत के राजपत्र में करवाने का आदेश भी दिया गया है ।

ह0 /-

(एन. के. मुखर्जी)

सचिव, भारत सरकार

अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन प्रभाग

1. पुलिस की सामान्य प्रकृति को प्रभावित करने वाले अपराध तथा समस्याओं का अध्ययन तथा विश्ले-ण, जैसे : --

(क) अपराध की प्रवृत्ति तथा कारण,

(ख) अपराध निवारण -निवारक मानदंड, उनकी प्रभाविता तथा अपराध के साथ उनका संबंध,

(ग) पुलिस बल तथा उनके आधुनिकीकरण की पद्धति, प्रक्रिया तथा तकनीकें, संगठन, शक्ति, प्रशासन, पुलिस अधिनियम एवं नियमावली ।

(घ) जांच-पड़ताल की पद्धति में सुधार, नवीन वैज्ञानिक सहायता एवं दंड की उपयोगिता एवं परिणाम,

(ड.) कानून की अपर्याप्तता,

(च) बाल अपराध,

(छ) पुलिस वर्दी, बिल्ले, तमगे, साज-सज्जा, रंग तथा ध्वज, पुलिस कवायद (ड्रिल), पूर्वता-अधिपत्र आदि ।

2. राज्यों में पुलिस शोध-कार्यक्रमों में सहायक, अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति एवं समन्वयन, अत्यधिक-ग्रामीण शोध को प्रवर्तित करना ।

3. पुलिस अनुसंधान पर स्थायी समिति से संबंधित कार्य ।

4. पुलिस समस्याओं के अध्ययन से संबंधित पुलिस विज्ञान कांग्रेस तथा अन्य सम्मेलन एवं सेमिनार ।

5. सामाजिक सुरक्षा एवं अपराध निवारण कार्यक्रमों में भागीदारी ।

6. अपराध निवारण एवं अपराधियों के व्यवहार के क्षेत्र में संघ रा-ट्रों के कार्य में भागीदारी ।

7. अपराध की समस्त भारतीय सांख्यिकी का रख-रखाव ।

8. आपराधिक प्रवृति का सांख्यिकीय विश्ले-ण ।

9. पुलिस विज्ञान एवं अपराध विज्ञान से संबंधित प्रलेखन ।

10. निम्न का प्रकाशन : --

I. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पत्रिका

II. भारत में अपराध

III. भारतीय पुलिस पत्रिका

IV. दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं आत्महत्या

V. अनुसंधान रिपोर्ट एवं समाचार पत्र

VI. पुलिस कार्यों से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट, समीक्षाएं, अन्य पत्रिकाएं एवं किताबें

II. विकास प्रभाग

1. भारत में पुलिस बलों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नि-पादन तथा निम्न क्षेत्रों में नवीन उपकरणों के विकास की समीक्षा :---

   I. शस्त्र एवं गोला-बारूद,

   II. दंगे नियंत्रक उपकरण,

   III. यातायात नियंत्रक उपकरण,

   IV. पुलिस यातायात, तथा

   V. जांच-पड़ताल हेतु सहायता सहित विविध वैज्ञानिक उपकरण

2. रा-ट्रीय प्रयोगशाला एवं अन्य वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्यमों से संपर्क, विकास कार्यक्रमों का समन्वयन तथा पुलिस उपकरणों के देशी उत्पादन को प्रेरित करना ।
3. पुलिस कार्य के विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ।
4. केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, कलकत्ता एवं हैदराबाद ।
5. प्रश्नात्मक प्रलेखों के सरकारी परीक्षक, शिमला, कलकत्ता एवं हैदराबाद ।
6. पुलिस कार्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर चर्चा करने के लिए द्विवार्निक समस्त भारतीय न्यायिक विज्ञान सम्मेलन तथा न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं विज्ञान आदि के निदेशकों का सम्मेलन ।
7. राज्यों में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं
8. न्यायिक विज्ञान की भारतीय अकादमी
9. न्यायिक विज्ञान पर ग्री-मकालीन/शीतकालीन विद्यालय ।
10. न्यायिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्य करने के लिए छात्रवृत्ति योजना
11. पुलिस प्रचार एवं पुलिस प्रचारक चलचित्र, पुलिस सप्ताह एवं परेड ।

12. पुलिस अनुसंधान एवं विकास सलाहकार परि-नद तथा इसकी स्थायी समिति से संबंधित कार्य तथा अन्य पुलिस अनुसंधान ।

प्रशिक्षण प्रभाग

1. बदलते सामाजिक परिवेश के प्रकाश में देश की जरूरतों तथा पुलिस प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर व्यवस्था प्रदान करना तथा पुलिस कार्य तथा प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रवेश तथा पुलिस प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिचालित एवं समन्वित करना ।
2. केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कलकत्ता, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ ।
3. अपराध-विज्ञान तथा न्यायिक विज्ञान संस्थान ।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना जिसमें राज्यों/संघ राज्यों, जो भी वांछनीय हो, में विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में ऐसे मानक एवं एकरूपता सुरक्षित करना जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या शामिल हो तथा ऐसे सुधार एवं नवपरिवर्तनों का सुझाव देना जिन पर समय-समय पर नवीन चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करने के लिए विचार किया जा सके ।
5. नवीन पुनश्चर्या, प्रोत्साहन, विशे-नज्ञ तथा दिग्विन्यास के आवि-कार में मदद करना, पुलिस अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों तथा प्रकारों के लिए पाठ्यक्रमों पर विचार करना ।
6. केन्द्रीय चिकित्सक विधिक संस्थान तथा केन्द्रीय यातायात संस्थान की स्थापना संबंधी कार्य।
7. पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से मानक नियमावली, पाठ्य पुस्तकें, पैम्फलेट, व्याख्यान टिप्पणियां, केस अध्ययन, व्यावहारिक अभ्यास तथा अन्य शैक्षिक साहित्य का निर्माण करना, जो इन संस्थानों के प्रयोग में आ सके ।
8. अधिकारियों को प्रशिक्षण संकल्पनाओं से परिचित करने तथा उच्च श्रेणियों के बीच प्रशिक्षण चेतना को मजबूत करने के लिए राज्यों में महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षकों को प्रासंगिक साहित्य वितरित करना ।
9. प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सहायता हेतु उपकरणों को मानकीकृत करना तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनके उत्पादन एवं आपूर्ति की व्यवस्था करना ।

10. विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयोग के लिए चलचित्रों की संचारी पुस्तकालय का सृजन तथा रख-रखाव ।

11. देश के भीतर तथा बाहर उपयुक्त गैर-पुलिस संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सहायता करना ।

12. पुलिस प्रशिक्षण के विभिन्न पक्षों पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों तथा संक्षिप्त सेमिनारों का आयोजन करना ।

13. समय-समय पर आवश्यकतानुसार केन्द्र के अधीन नवीन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के सुझाव देना ।

14. भारत तथा विदेशों से पुलिस कार्य आदि के विभिन्न पक्षों पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सहायक सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साहित्य संबंधी सूचनाओं के लिए शोधन-गृह के रूप में कार्य करना ।

15. केन्द्र एवं राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों के विकास में सहायता करना ।

16. यू एन डी पी, यूनेस्को तथा कोलम्बो योजना आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण सहायक परियोजनाओं एवं शिक्षावृत्ति के लिए, कर्मचारी विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय से संपर्क रखना ।

- प्रति -

परिशि-ट - I

(देखें अनुच्छेद - 5.1)

आई.सी.एफ.एस. के पुनःपरिभाि-त उद्देश्य तथा कार्य,

(देखिए प्रस्ताव संख्या 4/20/70-एफ(पी)-II/आईसीएफएस/जीपीए-I दिनांक 25 सितम्बर, 1976)

उद्देश्य

1. अपराध विज्ञान तथा न्यायिक विज्ञान के वि-नयों की प्रगति के लिए रा-ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना तथा इस दिशा में (1) अपराध विज्ञान में कला स्नातकोत्तर तथा न्यायिक विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर तथा (2) अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान में शोध का आश्वासन प्रदान करें ।
2. पुलिस अधिकारियों, न्यायाधिकारियों तथा सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा साथ ही आपराधिक न्यायिक प्रणाली में प्रवृत्त अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र की भूमिका निभाना तथा विभिन्न वि-नयों में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सुविधाएं प्रदान करना ।
3. समस्त रा-ट्रीय एवं अंतर्रा-ट्रीय संस्थानों के लिए अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ-निकाय के रूप में कार्य करना तथा इन क्षेत्रों में विभिन्न अध्ययनों में प्रवृत्त कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान करना ।
4. अन्य देशों में अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करके अंतर्रा-ट्रीय समझ एवं सदभाव को प्रोत्साहित करना ।

संगठन

उपर्युक्त लिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु संस्थान निम्नलिखित संगठनात्मक व्यवस्था करेगा : --

1. यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत पृथक विभाग होगा तथा एक निदेशक द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी । देखिए, भारत सरकार प्रस्ताव संख्या 4/20/70-एफ(पी)-।।/आईसीएफएस/ जीपीए-। दिनांक 25 सितम्बर, 1976.

2. इसके पास एक सचिव सहित सलाहकार परि-ाद होगा गृह मंत्रालय इसकी अध्यक्षता करेगा तथा ऐसे अधिकारी एवं गैर-अधिकारी सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार के अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा ।

3. विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजन, अनुसंधान कार्य एवं संस्थान के विकास के लिए सलाहकार परि-ाद द्वारा निदेशक को निर्देशित किया जाएगा ।

4. संस्थान के निम्नलिखित प्रभाग होंगे : --

5. प्रत्येक प्रभाग के कार्य-भार एवं कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रभागों के कर्मचारीगत ढांचे का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा ।

6. संस्थान के समक्ष देश के ऐसे विशि-ट अपराध वैज्ञानिक, समाजवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, विधिवेत्ता तथा न्याय-वैज्ञानिक होंगे जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नियुक्त कर सकती है ।

कार्यः

संस्थान निम्नलिखित कार्य करेगा : --

1. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान में कला स्नातकोत्तर एवं विज्ञान स्नातकोत्तर का संचालन करना ।

2. विभिन्न सेवाकालीन प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

3. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त व्यक्तियों की सदस्यता, साहचर्य एवं शिक्षावृत्ति प्रदान करना ।

4. अनुसंधान, अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के प्रयोग से संबंधित सभी वि-नयों की नीतियों को परिचालित करने में भारत सरकार की सहायता करना ।

5. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के अध्ययन एवं इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत तथा विदेशों में अन्य संस्थानों, संगठनों, संस्थाओं के साथ सहयोग करना ।

6. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संबंधी मामलों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों तथा अन्य संस्थानों को सूचनाएं प्रसारित करने के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की स्थापना एवं रख-रखाव ।

7. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शोध शिक्षावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रदान करना ।

8. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान में इसकी अपनी और अन्य एजेंसियों द्वारा शोध को सहायता, प्रोत्साहन एवं समन्वयन को आश्वासन देना जिसमें स्थायी संस्थान एवं विश्वविद्यालय शामिल होंगे ।

9. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का विश्ले-ाण करने के लिए संस्थान के पास भेजना ।

10. देश में अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान के वि-ायों पर ऐसे शोध तथा अध्ययनों को प्रारंभ करना जो या तो व्यक्तिगत रूप से किए गए हों अथवा अन्य संगठनों के सहयोग से किए गए हों ।

11. अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान पर आधारित समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य प्रकाशित करना ।

संख्या VII-11018/14/92-जीपीए-IV

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

परिशि-ट - IV

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1995

कार्यालय ज्ञापन

वि-ाय : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सुधारात्मक प्रशासन कार्य सौंपना ।

भारत सरकार ने बदलते समाज में पुलिस की समस्याओं के गत्यात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करने एवं देश में पुलिस प्रशासन की पद्धति एवं तकनीकों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विचार करने हेतु दिनांक 28.8.1970 के संकल्प संख्या 8/136/68-पीएल के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की । दिनांक 13.9.1973 के संकल्प संख्या 34/1/73-बीपीआर एंड डी/जीपीए-। के अनुसार इस ब्यूरो का क्षेत्र बाद में बढ़ा दिया गया जिसमें पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में निम्नलिखित प्रभाग हैं : --

I. अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन प्रभाग
II. विकास प्रभाग
III. प्रशिक्षण प्रभाग
IV. न्यायिक विज्ञान प्रभाग

उपरोक्त विभागों द्वारा नि-पादित किए जाने वाले क्रियाकलाप वर्तमान काल में राज्यों में पुलिस व्यवस्था से संबंधित हैं ।

2. सुधारात्मक प्रशासन के कार्य को बीपीआर एंड डी को सौंपने का प्रस्ताव पिछले कुछ समय से मंत्रालय के विचाराधीन है । यह निर्णय लिया गया है कि बीपीआरडी उपर्युक्त प्रभागों के माध्यम से सुधारात्मक प्रशासन से संबंधित कार्यकलाप भली-भांति करेगा क्योंकि उपरोक्त

कार्य में राज्य सरकारों के पुलिस/कारागार विभाग से संपर्क शामिल है । वैसे भी अधिकांश राज्यों में पुलिस प्रशासन तथा सुधारात्मक प्रशासन उसी विभाग से संबंध रखते हैं ।

3. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में बीपीआरडी द्वारा नि-पादित विस्तृत कार्यकलाप परिशि-ट में दिए गए हैं ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन गृह मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

ह0/-

(अरविन्द वर्मा)

विशे-ा सचिव, भारत सरकार

सेवा में

महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतिलिपि : --

I. समस्त राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिव
II. गृह मंत्रालय से संबंधित सभी अधीनस्थ कार्यालय
III. गृह मंत्रालय के सभी अधिकारीगत
IV. गृहमंत्री के निजी सचिव
V. गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह राज्यमंत्री (आर) के निजी सचिव
VI. गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह राज्यमंत्री (एस) के निजी सचिव
VII. गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह राज्यमंत्री (एम) के निजी सचिव
VIII. गृह सचिव के निजी सचिव

(जे.एल. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

परिशि-ट

सुधारात्मक प्रशासन पर बीपीआरडी के लिए कार्यकलापों का घो-णा-पत्र

देश में सुधारात्मक प्रशासन से संबंधित निम्न कार्यों को बीपीआर एंड डी द्वारा किया जाएगा : --

I. कारागार प्रशासन की सामान्य प्रकृति को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा कारागार सांख्यिकी का अध्ययन तथा विश्ले-ण ।

II. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों से प्रासंगिक जानकारी का एकत्रीकरण एवं प्रसारण ।

III. सुधारात्मक प्रशासन में सुधारात्मक प्रशासन अनुसंधान संस्थान (आर आई सी ए) तथा अन्य अकादमी/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अध्ययनों का समन्वयन तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके शोध अध्ययन/सर्वेक्षणों के संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।

IV. बदलते सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा तथा नवीन वैज्ञानिक तकनीकों के प्रस्तुतीकरण एवं अन्य संबंधित पक्षों की समीक्षा।

V. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में कारागार कर्मचारियों का विविध स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक जैसा प्रशिक्षण मापदंड तैयार करना जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यचर्या आदि शामिल हों ।

VI. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में रिपोर्ट, समाचार-पत्र, बुलेटिनों का प्रकाशन तथा दृश्य-श्रृव्य साधन आदि की तैयारी ।

VII. सुधारात्मक प्रशासन से संबंधित कार्य को निदेशित करने के लिए सलाहकार समित का गठन करना ।

परिशि-ट - V

संख्या 25011/41/2001-जीपीए.II/पीएम.II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110011

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2002

संकल्प

भारत सरकार ने संकल्प संख्या 8/136/68-पीआई (पर्स-1) दिनांक 28 अगस्त, 1978 के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की है । बीपीआर एंड डी के विभिन्न प्रभागों के कार्यकलापों को दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के संकल्प संख्या 34/1/73-बीपीआरी/जीपीए-I के अनुसार पुनः संशोधित किया गया ।

2. समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा देश में उपलब्ध राज्य न्यायिक विज्ञान सेवाओं के स्तर तथा विकास में बाधक अपर्याप्तता तथा रूकावटों का परीक्षण किया गया । यह सिफारिश की गई कि देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यकलापों एवं पूर्ण सक्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है । यह भी सिफारिश की गई है कि रा-ट्रीय स्तर पर न्यायिक विज्ञान क्रियाओं की निरंतर उन्नति सुनिश्चित की जाए । समस्त केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान संस्थाओं को गृह मंत्रालय के अधीन एक ही रूप से समन्वित किया जाना चाहिए ।

3. सभी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने निश्चय किया कि गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्र में नई दिल्ली में एक पृथक न्यायिक विज्ञान निदेशालय की स्थापना की जाए ।

4. केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता तथा हैदराबाद और प्रश्नास्पद प्रलेखों के सरकारी परीक्षक, कोलकाता, शिमला तथा हैदराबाद न्यायिक विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत रखे जाएंगे । इस निदेशालय की अध्यक्षता एक न्यायिक वैज्ञानिक द्वारा की जाएगी जो निदेशक एवं मुख्य न्यायिक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करेगा ।

5. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा न्यायिक विज्ञान निदेशालय के कार्यों का घो-णा-पत्र परिशि-ट-। व ।। में दिया गया है । कार्यों के घो-णा-पत्र का प्रतिस्थापन गृह मंत्रालय के पूर्व संकल्प संख्या 34/1/73-बीपीआर एंड डी-जीपीए-। 13 सितम्बर, 1973 के परिशि-ट में वर्णित है ।

(एन. गोपालस्वामी)

सचिव, भारत सरकार

संख्या-25011/4/2001-पीएम-।। दिनांक : 31, दिसम्बर, 2002

आदेश : --यह आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति सभी राज्य सरकार/संघ राज्यों के प्रशासनों, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, निदेशक, मुख्य न्यायिक वैज्ञानिक, न्यायिक विज्ञान निदेशालय, निदेशक, खुफिया विभाग, निदेशक, केन्द्रीय अन्वे-ाण ब्यूरो, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पुलिस बेतार एवं समन्वयन निदेशालय के निदेशक, निदेशक, एस वी पी रा-ट्रीय पुलिस अकादमी, निदेशक, रा-ट्रीय आपराधिक विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, निदेशक, रा-ट्रीय सुरक्षा कवच, निदेशक, विशे-ा सुरक्षा विभाग, निदेशक रा-ट्रीय अपराध अभिलेखन विभाग तथा भारत के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेि-ात की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

(हरमेन्दर राज सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

न्यायिक विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कर्तव्यों का नवीन घो-णा-पत्र

- न्यायिक व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से सहायता प्रदान करना,
- न्यायिक ज्ञान एवं सुविज्ञता को प्रसारित करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सलाहकार परामर्शदात्री सेवाओं को न्यायिक एवं अन्य निरीक्षकों को प्रस्तुत करना,
- देश में न्यायिक विज्ञान तथा सम्बद्ध सेवाओं की समस्याओं की पहचान करना तथा केन्द्रीय सरकार स्तर पर समस्त न्यायिक विज्ञान क्रियाओं को प्रवर्तित, प्रेरित, निर्देशित एवं प्रोत्साहित करना ।
- भारत तथा विदेश में संस्थानों, संगठनों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, पुलिस, अभियोजक तथा अन्य विधि प्रवर्तन तथा नियामक एजेंसियों के साथ प्रभावी सम्पर्क स्थापित करना ताकि देश में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में वैज्ञानिक सहायता को प्रोत्साहित किया जा सके ।
- आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक पद्धति के आधुनिकीकरण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को तकनीकी सलाह एवं सेवाएं प्रस्तुत करना ।
- न्यायिक विज्ञान गुणवत्ता आश्वासन को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए समन्वयन तथा रा-ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का प्रत्यायन करना तथा साथ ही देश में न्यायिक विज्ञान सेवाओं के लिए निपुणता परीक्षण के संचालन हेतु केन्द्रक अभिकरण की भूमिका निभाना । निजी न्यायिक व्यवसायियों के प्रत्यायन को प्रोत्साहित करना तथा न्यायिक विज्ञान पद्धति के अंतर्गत नीतियां तैयार करना ।
- समय-समय पर सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने पर न्यायिक विज्ञान प्रक्रिया, नियमावली वर्तमान पद्धति, कानूनी ढांचा तथा अन्य संबंधित वि-नयों को निर्धारित करना एवं उनकी समीक्षा करना ।
- राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य अकादमी संस्थानों को आर्थिक एवं तकनीकी दोनों रूप में निर्धारित, मूल्यांकित एवं विकसित करने तथा न्यायिक विज्ञान के नवीन क्षेत्रों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा न्याय-व्यवस्था की सहायता हेतु निर्देशित एवं सहायता करना ।

- समग्र देश एवं विश्व से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़ों तथा अन्य सूचनाओं का रख-रखाव तथा न्यायिक विज्ञान सूचना राजपथों के स्थापना द्वारा इसे न्यायिक विज्ञान संस्थानों के लिए सुलभ बनाना ।
- रा-ट्रीय स्तर पर न्यायिक विज्ञान में मानवीय संसाधन विकास कार्यक्रम प्रस्तुत करना तथा इसकी संपन्नता की निगरानी करना । भारत तथा विदेशों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों में न्यायिक वैज्ञानिकों के लिए विशि-ट आधुनिक प्रशिक्षण का समन्वयन । (केन्द्र तथा राज्य दोनों) ।
- देश में विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में न्यायिक विज्ञान अध्ययन तथा शोध विकास क्रियाओं को प्रोत्साहित करना ।
- अपराध निरीक्षण में वैज्ञानिक सहायता पर जन चेतना की जागृति के लिए अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ संपर्क रखना ।
- कलकत्ता, चंडीगढ़ एवं हैदराबाद/शिमला में केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान संस्थानों की प्रशासनिक एवं परिचालन क्रियाओं का नियंत्रण ।
- न्यायिक विज्ञान निदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं/जीईक्यूडी में न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रमाणित एवं प्रोत्साहित करना ।
- न्यायिक विज्ञान निदेशालय के अधीन एफ एस एल एस/जी ई क्यू डी में उपयुक्त संरचनागत सुविधाएं एवं मानवीय संसाधन विकसित करना जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके अपराध वि-नय-वस्तु के प्रदर्शन के परीक्षण की जिम्मेदारी निभाने के लिए योग्य बनाना ।
- न्यायिक विज्ञान पर सेमिनार, कार्यशाला तथा संगो-ठी का आयोजन करना ।
- न्यायिक विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत अवर अनुसंधान शिक्षावृति योजना की प्रगति को पुरस्कृत एवं अनुश्रण करना ।

परिशि-ट - II

I. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसंधान के कार्य, सांख्यिकी तथा प्रकाशन

प्रभाग

1. पुलिस की सामान्य प्रकृति को प्रभावित करने वाली समस्याओं एवं अपराध का अध्ययन एवं विश्ले-ण, जैसे --

   (क) अपराध की प्रवृति तथा कारण

   (ख) अपराध निवारण -निवारक मानदंड, अपराध के साथ उनका संबंध एवं प्रभाव

   (ग) पुलिस बल तथा उनके आधुनिकीकरण के संगठन, शक्ति, प्रशासन, पद्धति, प्रक्रिया तथा तकनीकें ।

   (घ) निरीक्षण के तरीकों में सुधार, वैज्ञानिक सहायता तथा दंड के परिणाम एवं योग्यता

   (ड.) कानून की अपर्याप्तता

   (च) बाल-अपराध

   (ड) पुलिस वर्दी, बिल्ले, तमगे, साज-सज्जा, रंग तथा ध्वज, पुलिस ड्रिल, वारंट की प्रक्रिया आदि ।

2. राज्यों में पुलिस अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं की प्रक्रिया एवं समन्वयन, अत्याधिकभित्ति अनुसंधान की जिम्मेदारी निभाना ।
3. पुलिस अनुसंधान पर स्थायी समिति से संबंधित कार्य ।
4. पुलिस समस्याओं के अध्ययन से संबंधित पुलिस विज्ञान कांग्रेस तथा अन्य सम्मेलन तथा सेमिनार ।
5. सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध निवारण कार्यक्रम में भागीदारी ।
6. अपराध निवारण तथा अपराधियों से व्यवहार के क्षेत्र में संघ रा-ट्रों के कार्यों में भागीदारी ।
7. भारतीय अपराध सांख्यिकी का रख-रखाव ।
8. आपराधिक प्रवृत्ति का सांख्यिकीय विश्ले-ण ।

9. पुलिस विज्ञान एवं अपराध विज्ञान से संबंधित प्रलेखन ।

10. निम्न का प्रकाशन : --

I. पुलिस अनुसंधान एवं विकास पत्रिका

II. भारत में अपराध

III. भारतीय पुलिस पत्रिका

IV. दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं आत्महत्या

V. शोध रिपोर्ट एवं समाचार पत्र

VI. पुलिस कार्य से संबंधित वि-नयों से जुड़ी रिपोर्ट, समीक्षा, अन्य पत्रिका एवं किताबें ।

II. विकास प्रभाग

भारत में पुलिस बल द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नि-पादन की समीक्षा तथ निम्नलिखित क्षेत्रों में नवीन उपकरणों का विकास ।

(क) हथियार एवं गोला बारूद

(ख) दंगे नियंत्रक उपस्कर

(ग) यातायात नियंत्रक उपस्कर

(घ) पुलिस यातायात तथा

(ड.) निरीक्षण हेतु विविध वैज्ञानिक उपकरण तथा वैज्ञानिक सहायता ।

2. उपरोक्त क्षेत्रों के अंतर्गत रा-ट्रीय प्रयोगशालाओं, विविध वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थानों तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रक्रमों के साथ संपर्क, पुलिस उपकरणों के देशी उत्पादन को प्रेरित करना तथा विकास कार्यक्रमों का समन्वयन ।

3. पुलिस कार्य के विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ।

4. पुलिस प्रचार तथा पुलिस प्रचार फाइल, पुलिस सप्ताह तथा पुलिस परेड ।

5. पुलिस अनुसंधान एवं विकास सलाहकार परि-द तथा इसकी स्थायी समितियों तथा पुलिस अनुसंधान से जुड़े कार्य ।

III. प्रशिक्षण विभाग

1. बदलते सामाजिक परिवेश में इस क्षेत्र में देश की जरूरतों तथा पुलिस प्रशिक्षण हेतु प्रबंधन की समय-2 पर समीक्षा तथा प्रशिक्षण एवं पुलिस कार्य में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रवेश तथा पुलिस प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वयन ।
2. कलकत्ता, हैदराबाद एवं चंडीगढ़ में केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय ।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना जिसमें प्रशिक्षण व्यवस्था में मानक एवं एकरूपता सुनिश्चित हो तथा जिसमें वांछनीय रूप में राज्य/संघ राज्य में विविध श्रेणियों हेतु पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या शामिल हो तथा नवीन चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करने हेतु समय-2 पर आवश्यक परविर्तन एवं संशोधनों के सुझाव देना ।
4. पुलिस अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों एवं प्रकारों हेतु आवश्यक सुविचारित नवीन अतिरिक्त शुल्क, उन्नति, विशे-ाज्ञ एवं दिग्विन्यास पाठ्यक्रमों का आवि-कार करना ।
5. केन्द्रीय चिकित्सक, विधिक संस्थानों तथा केन्द्रीय यातायात संस्थानों की स्थापना संबंधी कार्य ।
6. पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, मानक नियमावली, पाठ्यपुस्तकों, पैम्फलैटों, व्याख्यान टिप्पणियों, वि-नय अध्ययनों, प्रायोगिक अभ्यासों तथा इन संस्थानों के प्रयोग हेतु अन्य शिक्षाप्रद साहित्य।
7. राज्यों में अधिकारियों के परिचालन हेतु महानिरीक्षकों/महानिदेशकों (प्रशिक्षणरत) को प्रासंगिक साहित्य वितरित करना ताकि वे प्रशिक्षण संकल्पनाओं से परिचित हो सकें तथा उच्च श्रेणियों में प्रशिक्षण चेतना को मजबूत किया जा सके ।
8. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण सहायकों के उत्पाद तथा आपूर्ति की व्यवस्था तथा उनके उपकरणों को मानकीकृत करना ।
9. विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयोग के लिए फिल्मों के परिचालित पुस्तकालय का निर्माण एवं रख-रखाव ।
10. देश के भीतर तथा बाहर उपयुक्त गैर पुलिस संस्थानों में पुलिस अधिकारियों की विविध श्रेणियों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना ।
11. पुलिस प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त सेमिनार तथा पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानों की वार्-िक गो-ठी का आयोजन करना ।

12. समय-समय पर आवश्यकतानुसार केन्द्र के अधीन नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के सुझाव देना ।

13. भारत तथा विदेशों में पुलिस कार्य आदि के विविध पक्षों पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्धति, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साहित्य से जुड़ी सूचनाओं हेतु शोधन-गृह के रूप में कार्य करना ।

14. केन्द्र तथा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों के विकास में सहायता करना ।

15. कर्मचारी विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय के साथ-2 यू एन डी पी, यूनेस्को एवं कोलम्बो योजना आदि के प्रशिक्षण सहायक परियोजनाओं तथा शिक्षावृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना ।

IV. सुधारात्मक प्रशासन

1. कारागार सांख्यिकी तथा कारागार प्रशासन की सामान्य प्रकृति को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अध्ययन तथा विश्ले-ाण ।

2. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्य को प्रासंगिक सूचनाओं का समीकरण एवं विकीर्णन ।

3. सुधारात्मक प्रशासन अनुसंधान संस्थानों (आर..आई.सी.ए.) तथा अन्य अकादमी/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित शोध अध्ययनों का समन्वयन तथा राज्य सरकारों के परामर्श में शोध अध्ययनों/सर्वेक्षणों के संचालन हेतु निर्देशन देना ।

4. बदलते सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा तथा नवीन वैज्ञानिक तकनीकों एवं अन्य संबंधित पहलुओं को प्रस्तुत करना ।

5. वर्दी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यचर्या आदि शामिल हो, का निर्माण करना । सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में कारागार कर्मचारियों के विविध स्तरों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

6. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े रिपोर्ट, समाचार-पत्र, बुलेटिनों का प्रकाशन तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि की तैयारी करना ।

7. सुधारात्मक प्रशासन से जुड़े कार्यों को निर्देशित करने के लिए सलाहकार समिति की स्थापना करना ।

अत्यंत शीघ्र

परिशि-ट - VII

सं0 23011/83/2005-पीटी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पुलिस विभाग

वि-ाय : 29.9.2005 को माननीय गृहमंत्री के समक्ष बीपीआर एंड डी के प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चा का कार्यवृत्त ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया 29.9.2005 को माननीय गृहमंत्री के समक्ष बीपीआर एंड डी के प्रस्तुततीकरण के दौरान हुई चर्चा के कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न पत्र के साथ सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राप्त करें ।

ह0/-

(जिश्नु बरूआ)

निदेशक (पुलिस)

संलग्न : (उपरोक्त के समान)

1. महानिदेशक, बीपीआर एंड डी
2. संयुक्त सचिव (पी)
3. संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री)
4. निदेशक (पी एफ)
5. निदेशक (कार्मिक)
6. निदेशक (एफ)
7. निदेशक (पी एम आर)

सूचना हेतु प्रति :

1. गृहमंत्री के निजी सचिव

2. गृह सचिव के निजी सचिव

3. एसएस (एच) के निजी सचिव

4. ए एस एवं एफ ए के निजी सचिव

29.9.2005 को माननीय गृहमंत्री के समक्ष बीपीआर एंड डी के प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चा का कार्यवृत्त

1. माननीय गृहमंत्री ने बीपीआर एंड डी में क, ख, ग और घ श्रेणियों के पदों के रिक्त होने का कारण जानना चाहा । संयुक्त सचिव (पुलिस) ने बताया कि क श्रेणी के पदों के रिक्त होने का कारण यह है कि आर.आर. के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य है जिस कारण यह मामला लम्बा खिंच जाता है । हालांकि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग श्रेणी क के पद, जो कि उपनिदेशक का पद है, के लिए परामर्श लेने की आवश्यकता को एक बार की छूट देना चाहता था ताकि इन पदों को शीघ्र भरा जा सके । इस संबंध में संयुक्त सचिव (पुलिस) ने गृहमंत्री को ध्यान दिलाया कि बीपीआर एंड डी ने भर्ती नियमों के संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है जो कि परीक्षणाधीन है । श्रेणी ख, ग और घ के रिक्त पदों के संबंध में बीपीआर एंड डी के महानिदेशक ने स्प-ट किया कि इन श्रेणियों के अधिकांश पदों को समाप्त कर दिया गया है । परिणामस्वरूप अब इन श्रेणियों में बहुत कम पद भरने के लिए रह गए हैं । उन्होंने यह भी बताया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं ।

2. गृहमंत्री ने बल देते हुए कहा कि अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण सेमिनार नित्यक्रम/यांत्रिक रीति से आयोजित नहीं किए जाने चाहिए । इस सम्मेलन में नागरिक समाज के विभिन वर्गों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होना चाहिए । उन्होंने बल दिया कि इस प्रकार के सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन इस विचार के साथ किया जाना चाहिए कि वे मीडिया और जनता पर व्यापक स्तर पर प्रभाव डाल सकें ।

3. गृहमंत्री की इच्छा थी कि अखिल भारतीय पुलिस पत्रिका की गुणवत्ता, वि-नय वस्तु तथा रूप सज्जा दोनों रूप में, व्यापक स्तर पर सुधार किया जाना चाहिए ।

4. गृहमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बीपीआर एंड डी को प्रथमिकता के आधार पर निम्नलिखित अध्ययनों को संचालित किया जाना चाहिए :--

i. बीपीआर एंड डी को पुलिस स्टेशनों के लिए क्षेत्र-विशे-न मानक मॉडल, सिपाहियों तथा अधिकारियों के लिए मकानों को तैयार करने के लिए एक समग्र अध्ययन संचालित करना चाहिए ।

ii. जितनी जल्दी को सके, बीपीआर एंड डी को "महिलाओं पर अपराध" पर एक प्रस्तुतीकरण गृहमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

iii. विस्फोटों का पता लगाने, विशे-ाकर सुरंग खोज पर अध्ययन संचालित किया जाना चाहिए जो कि वामपंथी/नक्सलवादी हिंसा के परिप्रेक्ष्य में काफी लाभकारी होगा ।

iv. बौद्धिक संचयन की गुणवत्ता में सुधार हेतु बी पी आर एंड डी को इस पर एक मापदण्ड विकसित करना चाहिए जो मानवीय आवश्यकताओं, उपकरणों आदि का ध्यान रखे । इन मापदण्डों को केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए तथा राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रचारित भी करना चाहिए ।

v. बी पी आर एंड डी को देशों के आधार पर कारावास की तुलनात्मक दर तथा भारत में कारावास की अपेक्षाकृत निम्न दर के कारणों पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करनी चाहिए ।

vi. बी पी आर एंड डी को (अ) हिरासत में मृत्यु (ब) महिलाओं पर अपराध पर तुलनात्मक सांख्यिकी भी प्रस्तुत करनी चाहिए ।

vii. बी पी आर एंड डी को जिला न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या को भी शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनका निपटान "फास्ट ट्रेक" न्यायालयों में किया जा सके ।

viii. बी पी आर एंड डी को केन्द्रीय पुलिस अधिकारी/केद्रीय पुलिस बलों की ओर से पुलिस संबंधी क्षेत्रों पर शोध संचालित करना चाहिए जिससे प्रभावी सत्र न सिर्फ सभी केन्द्रीय पुलिस कार्यालयों के महानिदेशकों

अतिपु क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों के महानिदेशकों के साथ भी रखा जाए । ये व्यवस्थाएं संस्थागत होनी चाहिए ।

ix. बी पी आर एंड डी को आम आदमी को भारत तथा विदेशों में अपराध की स्थिति से अवगत कराने तथा शिक्षित करने के लिए सम्मेलन तथा सेमिनार रखने चाहिए । आम आदमी को यह बताया जाए कि ऐसे अपराधों का सामना करने में हमारी पुलिस की क्षमता कितनी है तथा आम आदमी किस प्रकार की पुलिस की सहायता कर सकता है । इसी संबंध में यह सुग्राहीकरण सूचना संबंधी लेख, पुस्तकों द्वारा, बी पी आर एंड डी अधिकारीगण तथा अन्य पुलिस विशे-ज्ञ द्वारा मीडिया से पारस्परिक क्रिया, वातावरण, प्रतिबंधों आदि के द्वारा भी किया जा सकता है ।

x. बी पी आर एंड डी को सरकार द्वारा पीड़ित हेतु क्षतिपूर्ति पर एक अध्ययन करना चाहिए जो अनेक देशों में अनुगमित ऐसी नीतियों एवं पद्धतियों के पृ-ठ पर के लिए हो ।

यह अध्ययन एक महीने के भीतर हो जाना चाहिए ।

5. गृहमंत्री चाहते हैं कि बी पी आर एंड डी एक विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित हो जिसके लिए उन्हें एक दृ-टिकोण/योजना/परियोजना की चर्चा करनी चाहिए ताकि अंतर्रा-ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में उभरने का उद्देश्य शीघ्र प्राप्त किया जा सके ।

6. बी पी आर एंड डी को एक जैसे अन्य अंतर्रा-ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि पुलिस शोध पर विचारों एवं विशे-ज्ञों का व्यापक विनिमय किया जा सके । यह काम बी पी आर एंड डी द्वारा आयोजित सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने आए अंतर्रा-ट्रीय विशे-ज्ञों के आमंत्रण को बढ़ाकर किया जा सकता है ।

7. अंतर्रा-ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले भारतीय पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का प्रलेखन अनिवार्य है जिसका सार-संग्रह व्यापक स्तर पर परिचालित किया जाना चाहिए ।

परिशि-ट - VIII

तत्काल

सं0 23011/93/2006-पीटी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 3.11.2006

वि-नय : बी पी आर एंड डी में विचाराधीन महत्वपूर्ण वि-नय -ता0 28.9.2006 को गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

उपर्युक्त वि-नय पर हुई बैठक के गृह सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

(श्रीमती रेणु सरीन)
अवर सचिव (पी एम ए)

1. महानिदेशक, बी पी आर एंड डी
2. एस एस (आई एस)
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
4. संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री)
5. संयुक्त सचिव (सी एस)
6. निदेशक (गृह मंत्रालय-वित्त)

प्रति : --

गृह सचिव के निजी सचिव
संयुक्त सचिव (पी) के निजी सचिव
निदेशक (पी) के निजी सचिव

28.9.2006 को बीपीआर एंड डी के सम्मेलन कक्ष में गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक/प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त

इस बैठक की अध्यक्षता श्री वी.के. दुग्गल, केन्द्रीय गृह सचिव ने की । जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया उनका विवरण परिशि-ट "अ" में दिया गया है । बी पी आर एंड डी के महानिदेशक ने प्रस्तुतीकरण इस विस्तार तक दिया जहां तक बी पी आर एंड डी अपने घो-णणा-पत्र में दिए गए वचनों को पूरा करने में समर्थ था । इसकी सीमाएं संसाधनों तथा बी पी आर एंड डी के नवीनीकरण एवं पुनः उर्जस्वित करने के लिए संभावित कदम उठाने के रूप में थी । प्रस्तुतीकरण की एक संपठनीय प्रति गृह मंत्रालय को उसी दिन भेज दी गई । विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात गृह सचिव ने निम्नलिखित निर्णय लिए: --

1. बी पी आर एंड डी के घो-णणा-पत्र के साथ बी पी आर एंड डी के व्यवस्थित विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।
2. बी पी आर एंड डी द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ विशि-ट क्षेत्रों की भी पहचान की जानी चाहिए ताकि उनके घो-णणा-पत्र के अंतर्गत योजनागत संवृद्धि लाई जा सके ।
3. बी पी आर एंड डी को विशि-ट अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देना चाहिए जो पुलिस बल के लिए जमीनी स्तर वास्तविक परिणाम ला सकता है ।
4. बी पी आर एंड डी को प्रत्येक राज्य की विशि-ट समस्या को पहचानाना चाहिए तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव के लिए शोध संचालित करना चाहिए ।
5. प्रत्येक शोध परियोजना का एक सारांश होना चाहिए जिसमें एजेंसियों द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कार्यवाही योग्य एवं प्रयोगाश्रित बिन्दुओं का उल्लेख हो । इसे लक्षित चुनाव क्षेत्रों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए ।
6. वे योग्यताओं को भी विकसित करना चाहते हैं । बी पी आर एंड डी के महानिदेशक की पहचान अन्य सी पी एम एफ तथा बी पी आर एंड डी से जुड़े अन्य कार्यालयों में शोधोन्मुखी कर्मचारी के रूप में कराना चाहते हैं ।

7. उन्होंने निर्णय लिया है कि ये संयोजन तदर्थ अनुसंधान एवं विकास के लिए नहीं होंगे अपितु अगले तीन व-र्, पांच व-र् आदि समय-सीमाबद्ध कार्य उत्पादन योजना के लिए होगा ।

8. बी पी आर एंड डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क का एक अंग होगा । यह इसका अंग कैसे बना रह सकता है इसकी मार्गदर्शिका निर्मित करनी चाहिए ।

9. बी पी आर एंड डी को प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण, अर्ध-नगरीय, नगर, महानगर के लिए आदर्श पुलिस स्टेशन, एक आधुनिक पुलिस गश्त वाहन, हथियार संबंधी आवश्यकताएं तथा सामान-सूची सुनिश्चित करनी चाहिए ।

10. वे चाहते हैं कि बी पी आर एंड डी एक अच्छे पुलिस गश्त वाहन को विकसित करने की संभावनाओं की खोज करे जिसमें इसका डिजाइन, ढांचा शामिल हो तथा उस वाहन को गांवों, अर्द्ध-नगरों, नगरों, महानगरों आदि में प्रयोग किया जा सके ।

11. वार्-िक योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है ।

12. वर्तमान प्रस्तावों के मूल्यांकन पर आधारित समयवद्ध मार्गदर्शिका निर्मित करने की आवश्यकता है ।

13. प्रत्येक क्रिया में प्रस्तुती योग्य कार्यों की पहचान की जाए । ऐसे कार्यों की सूची बनाई जाए तथा अगली बैठक में उन पर चर्चा की जाए ।

14. एक उप-श्रेणी बनाई जाए जिसमें (क) विशे-ा सचिव (गृह) (ख) महानिदेशक, बी पी आर एंड डी (ग) संयुक्त सचिव (पुलिस) (घ) संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्र) (ड.) एफ ए (गृह मंत्रालय) शामिल हो । यह वर्ग प्रस्ताव निर्मित करने के साथ-2 मासिक समीक्षा भी प्रस्तुत करेगा जो व्यापक सुविचारित तथा गृह मंत्रालय के लिए विक्रय योग्य होगी तथा वित्त मंत्रालय समय-सीमा के भीतर बी पी आर एंड डी में वांछनीय एवं स्वीकृत परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा ।

15. उप-श्रेणी द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों तथा परिवर्तनों का गृह मंत्रालय से पूरा समर्थन मिलेगा ।

16. उप-श्रेणी द्वारा की गई कार्यवाही तथा प्रगति पर पहली समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे ताकि बी पी आर एंड डी के प्रस्तुतीकरण के लिए

समयबद्ध मार्गदर्शिका तथा विशद और स्प-ट योजनागत लक्ष्य निर्मित किए जा सकें और गृह मंत्री से अनुमोदन प्राप्त हो सके ।

17. वर्तमान पदों को दोबारा लागू करना प्रतिबंध आदेशों के अंतर्गत है । गृह मंत्रालय को उसी प्रकार की सुमेलन शर्तों को प्रदान करने का विचार करना पड़ेगा जैसा कि कुछ अन्य विभागों के मामलों में किया गया है । हालांकि बी पी आर एंड डी एक बहुत छोटा संगठन है अतः वर्तमान पदों के सुमेलित शर्तों को प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं होगी ।

18. गृह सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों को प्रधान रहित नहीं रखा जाए तथा जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के रिक्त पदों को भरने के लिए गृह मंत्रालय कार्यवाही करेगा ।

19. गृह सचिव ने निर्देश दिया कि बी पी आर एंड डी में आर आर के विभिन्न पदों पर पुनः विचार किया जाए तथा जहां भी संशोधन की आवश्याकता हो वहां भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने का विचार किया जाए । जो संशोधन प्रस्ताव पहले से ही डी ओ पी एंड टी तथा संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं उन्हें सशक्त रूप में आगे बढ़ाया जाए ।

20. गृह सचिव ने बी पी आर एंड डी के महानिदेशक को बड़े कार्य करने के लिए आर्थिक शक्तियां दिए जाने की प्रशंसा की है । उन्होंने परामर्शदाताओं को नियुक्त करने तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अधिकारियों के अभ्यंतर वर्ग को विकसित करने की भी प्रशंसा की है । उन्होंने निर्देश दिया कि बी पी आर एंड डी के महानिदेशक द्वारा विशि-ट प्रस्तावों को आई एफ डी के परामर्श से गृह मंत्रालय के विचार हेतु भेजा जाए ।

21. उन्होंने निदेशक (वित्त-गृह) को उपरोक्त प्रस्ताव को प्राप्त करने पर शीघ्र विचार करने का निर्देश दिया ।

22. गृह सचिव बी पी आर एंड डी को एक पृथक एफ ए विभाग प्रदान करने के लिए सहमत है ।

23. बी पी आर एंड डी को अन्य स्थल पर आई डी एस ए पुराना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैम्पस पर स्थानांतरित करने के संदर्भ में उन्होंने व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया । जो प्रस्तावित स्थल में वर्तमान जमीन क्षेत्रफल, वन स्वामित्व आदि को व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करे । अन्य वैकल्पिक स्थलों पर भी विचार किया जाए ।

24. अगले एक व-र्, तीन व-र्, पांच व-र् के लिए बी पी आर एंड डी को अपने कार्यवाही योग्य एवं प्रयोगाश्रित उत्पादन के संबंध में एक परिप्रेक्ष्य एवं विशि-ट मार्गदर्शी योजना निर्मित करनी होगी तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे ।

25. गृह सचिव नवम्बर के पहले सप्ताह में बी पी आर एंड डी के कान्फ्रेंस हाल में बी पी आर एंड डी की अगली बैठक की अध्यक्षता करेंगे । बी पी आर एंड डी इन क्रियाओं की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता की पहचान करेगी : --

    (अ) किन क्रियाओं को बाह्य संसाधन दिए जाएं ।

    (ब) किन परामर्शदाताओं को किराए पर रखा जाए, तथा

    (स) प्रासंगिक क्षेत्रों में अन्य विशे-ाज्ञ अधिकारियों को रखा जाए ।

परिशि-ट - IX

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

(गृह मंत्रालय)

वि-ाय : बी पी आर डी के महानिदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

1. भारतीय संविधान, अनुसूची-7, संघ सूची की प्रवि-टि-65 में प्रावधान है कि :--

   (क) पुलिस अधिकारियों की व्यावसायिक, पेशेवर अथवा तकनीकी प्रशिक्षण, अथवा

   (ख) विशि-ट अध्ययन अथवा अनुसंधानों को प्रोत्साहन, अथवा

   (ग) अपराधों की जांच अथवा निरीक्षण में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता भारतीय संघ की प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं ।

   उपरोक्त संविधानात्मक वचन के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1970 के संकल्प के अनुसार बी पी आर एंड डी की स्थापना की गई ।

2. बी पी आर एंड डी की शुरूआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हुई :--

   - बदलते समाज में पुलिस समस्याओं का गत्यात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन ।
   - नीतियों की पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का द्रुतगामी अनुप्रयोग ।
   - पुलिस बल का आधुनिकीकरण ।
   - नीतियों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के संदर्भ में सलाहकार एवं सहयोगी की भूमिका ।

3. गृह मंत्रालय के दिनांक 28.8.1970 का संकल्प दिनांक 13.9.1973 तथा कार्यालय ज्ञापन, गृह मंत्रालय का दिनांक 16.11.1995 तथा दिनांक 31.12.2002 का संयुक्त संकल्प से 1973 तथा 1995 में प्रशिक्षण एवं सुधारात्मक प्रशासन की स्थापना से उपरोक्त जिम्मेदारियां बढ़ गई । इनकी प्रतियां परिशि-ट-I,II, III और IV में निर्दि-ट हैं ।

4. उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ब्यूरो के पास न तो उपयुक्त श्रमशक्ति है न ही वित्तीय संसाधन । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग का सृजन 1995 में कर्मचारियों की स्वीकृति के बिना हुआ । वर्तमान समय में 254

की कुल संख्या की अपेक्षा विभाग 32% रिक्तियों को पूरा करता है । स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विस्तृत विवरण परिशि-ट-V में दिया गया है । यह देखा गया है कि अकेले वेतन अवयव के अंतर्गत स्वीकृत संख्या में मौजूदा रिक्तियों को 1.25 करोड़ की राशि समर्पित की गई है ।

5. दिनांक 28.9.2006 को हुई बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव ने बी पी आर एंड डी की समीक्षा के दौरान उपरोक्त मुद्दे पर ध्यान दिया ।

6. जिन पदों को स्वीकृति नहीं मिली है उनके लिए ब्यूरो को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य करने होंगे : --

1. वेब का रख-रखाव
2. आंकड़ों की प्रविि-टि
3. उपयोगी शोध कार्यों का प्रकाशन, जैसे -डिजाइन, प्रूफ रीडिंग, अनुक्रमाणिका, छपाई, प्रकाशन तथा वितरण आदि ।
4. पुलिस एवं सुधारात्मक प्रभाग, भवनों आदि के लिए डिजाइन विकसित करना तथा समय-समय पर दिए गए निर्दि-ट कार्यों को पूरा करना ।
5. उपकरणों का उनकी नि-पादन मूल्यांकन हेतु परीक्षण ।
6. आंकड़ों के विश्ले-ण के लिए ग्राफिक्स का प्रति व-र्ं परिचालन ।
7. हमारे कार्यों के समस्त पक्षों में ई-शासन ।
8. घो-णा-पत्र के अनुसार विधि, प्रबंधन, मानव संसाधन एवं विकास, उपकरणों/उत्पादों का तकनीकी मूल्यांकन, प्रकाशन, परियोजना, प्रौद्योगिकी, विकास आदि क्षेत्र जिनमें विशे-ज्ञों एवं ज्ञान की आवश्यकता है उनमें परामर्श देना ।
9. शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु चलचित्र सहित दृश्य श्रव्य अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री ।
10. प्रतिव-र्ं गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के रा-ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक (मैडल) तथा सुधारात्मक सेवा पदकों को प्राप्त करने वालों के नाम लिखने के लिए सुलेखीय कार्य ।
11. भवन की स्वच्छता एवं रख-रखाव बनाए रखना ।

7. अनुसंधान और प्रशिक्षण इस प्रभाग के दो प्रमुख कार्य हैं । हालांकि देखा गया है कि बी पी आर एंड डी के महानिदेशक के समक्ष शोध परियोजनाओं की गुणवत्ता को स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय शक्तियां नहीं हैं । इसी प्रकार पुलिस एवं सुधारात्मक प्रशासन अधिकारियों हेतु वि-नयगत हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु कांग्रेस, सम्मेलन, कार्यशाला आयोजित करने, प्रशिक्षण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी वित्तीय शक्तियां नहीं हैं । अतः गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष बी पी आर एंड डी द्वारा परिचालित प्रशिक्षण कार्यशाला/सेमिनार अथवा एक नई शोध परियोजना को प्रस्तावित करेगा । बी पी आर एंड डी में कर्मचारियों की अपर्याप्तता के वि-नय को आगे बढ़ाने तथा गृह मंत्रालय के पूर्वाधिकार, प्राथमिकताओं तथा अन्य प्रतिबंधों के कारण गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने में परिहार्य समय लगता है ।

8. विभिन्न क्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बी पी आर एंड डी को अतिरिक्त पद प्रदान करने के लिए बी पी आर एंड डी की पुनः संरचना का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है । वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण इकाई द्वारा अध्ययन की लम्बी प्रक्रिया के कारण अंतिम निर्णय लेने में काफी समय लगता है । अतः समय पर देश में पुलिस बल तथा सुधारात्मक सेवाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने की अत्यावश्यक दायित्वों को निभाने हेतु विभाग को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है कि बी पी आर एंड डी से पुलिस एवं सुधारात्मक विभागों की दायित्वों, क्रियाओं तथा अपेक्षाओं के साथ बी पी आर एंड डी के महानिदेशक को आर्थिक शक्तियां प्रदान की जाए ।

9. प्रधानमंत्री के थ्रस्ट एरिया के प्रतिक्रियास्वरूप यह वि-नय कार्यवाही सहित पहले ही उठाया जा चुका है जो गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तावित था । देखिए बी पी आर एंड डी यू.ओ. संख्या 30/3/2003-आर.डी./ बी पी आर एंड डी दिनांक 22.2.2005 तथा अन्य संकल्प दिनांक 25.4.2005 । यह ज्ञान है कि बी पी आर एंड डी के महानिदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रदान किए जाने की बात संभवत गृह मंत्रालय के ध्यान से छूट गई है । हालांकि यह भी देखा गया है कि दूसरे केन्द्रीय पुलिस अधिकारियों के अध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को उनके संगठन की विशि-ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रधानों द्वारा पुनर्विचार किया जा चुका है ।

10. अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि जिन क्रियाओं का वर्णन अनुच्छेद-7 में ऊपर किया गया है कि बी पी आर एंड डी महानिदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं, जिनके लिए कर्मचारी एवं श्रमशक्ति अपर्याप्त हैं । इसी प्रकार ऐसी वित्तीय शक्तियों को भी महानिदेशक को दिए जाने की आवश्यकता है जो शोध परियोजना एवं प्रशिक्षण क्रियाओं की गुणवत्ता का संचालन करें ।

11. विभिन्न मदों के अंतर्गत आवश्यक प्रत्यायन अनुबद्ध इस प्रकार है : ---

क्र.सं.	व्यय की मद	वर्तमान वित्तीय शक्तियां	प्रस्तावित वित्तीय शक्तियां
1.	अनुसंधान	प्रत्येक परियोजना पर 2.5 लाख रू0, अधिकतम 5 लाख रू0 प्रतिव-र्ा	बजट सीमाओं के अधीन 5 लाख रू0 प्रति परियोजना
2.	(I) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी एवं वरि-ठ पुलिस अधिकारियों हेतु अनुलम्ब पारस्परिक प्रभाव पाठ्यक्रम (II) मानव संसाधन विकास परियोजना के अंतर्गत वरि-ठ पुलिस अधिकारियों के लिए प्रबंधन एवं नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (III) पुलिस अधिकारियों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित एवं वि-नयपरक पाठ्यक्रम (जो उपरोक्त I व II से भिन्न हों ।	शून्य शून्य शून्य	पूर्णाधिकार भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समय-2 पर डीओपी एंट टी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु दर के अनुसार पूर्णाधिकार भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, भारतीय प्रबंधन संस्थान,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान XLRI जमशेदपुर, MDI गुडगांव आदि संस्थानों के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार पूर्णाधिकार भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि के लिए निर्धारित दरों के अनुसार
3.	कार्यशाला/सम्मेलन/सेमिनार/गो-ठी/ कांग्रेस आदि	शून्य	बजट सीमा के अनुसार प्रत्येक वि-नय में 5 लाख रू0
4.	व्यावसायिक सेवाओं को बाह्य संसाधन प्रदान करना ।	शून्य	प्रत्येक मामले में 5 लाख रू0
5.	शुद्ध व्यय	गैर आवर्ती प्रत्येक मामले में 60,000/-रू0 आवर्ती 30,000 रू0 प्रतिव-र्ा	गैर आवर्ती प्रत्येक मामले में 2 लाख रू0 प्रतिव-र्ा आवर्ती प्रत्येक मामले में 1 लाख रू0 प्रति व-र्ा

6.	परामर्शदाताओं की परामर्श आबंध	शून्य	प्रत्येक मामले में 5 लाख रू0 बशर्ते की अधिकतम सीमा 20 लाख रू0 प्रतिव-र्ा हो
7.	परिवहन किराया	आकस्मिक विभागीय प्रयोग हेतु पूर्णाधिकार	5 लाख रू0 प्रतिव-र्ा
8.	विविध लेखन-सामग्री की स्थानीय खरीदारी	1 लाख रू0 प्रतिव-र्ा	पूर्णाधिकार
9.	विविध छपाई तथा जिल्दसाजी	25,000/-रू0 प्रतिव-र्ा	पूर्णाधिकार
10.	प्रशिक्षण पर शैक्षिक सामग्री का उत्पादन	1 लाख रू0 प्रतिव-र्ा	पूर्णाधिकार
11.	कम्प्यूटर	5 लाख रू0 प्रतिव-र्ा	10 लाख रू0 प्रतिव-र्ा
12.	निजी/सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण	शून्य	पूर्णाधिकार
13.	मानदेय	प्रत्येक मामले में 2500 रू0 प्रतिव-र्ा	प्रत्येक मामले में 5000/-रू0 प्रति व-र्ा
14.	निजी प्रकाशकों द्वारा भारतीय पुलिस सामग्री तथा समस्त अन्य प्रकाशनों का मुद्रण	गृह मंत्रालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	पूर्णाधिकार
15.	विशि-ट आगंतुकों का मनोरंजन	प्रति व्यक्ति 50/-रू0 बशर्ते की प्रत्येक मामले में अधिकतम 2000 रू0 हों ।	150/-रू0 प्रति व्यक्ति

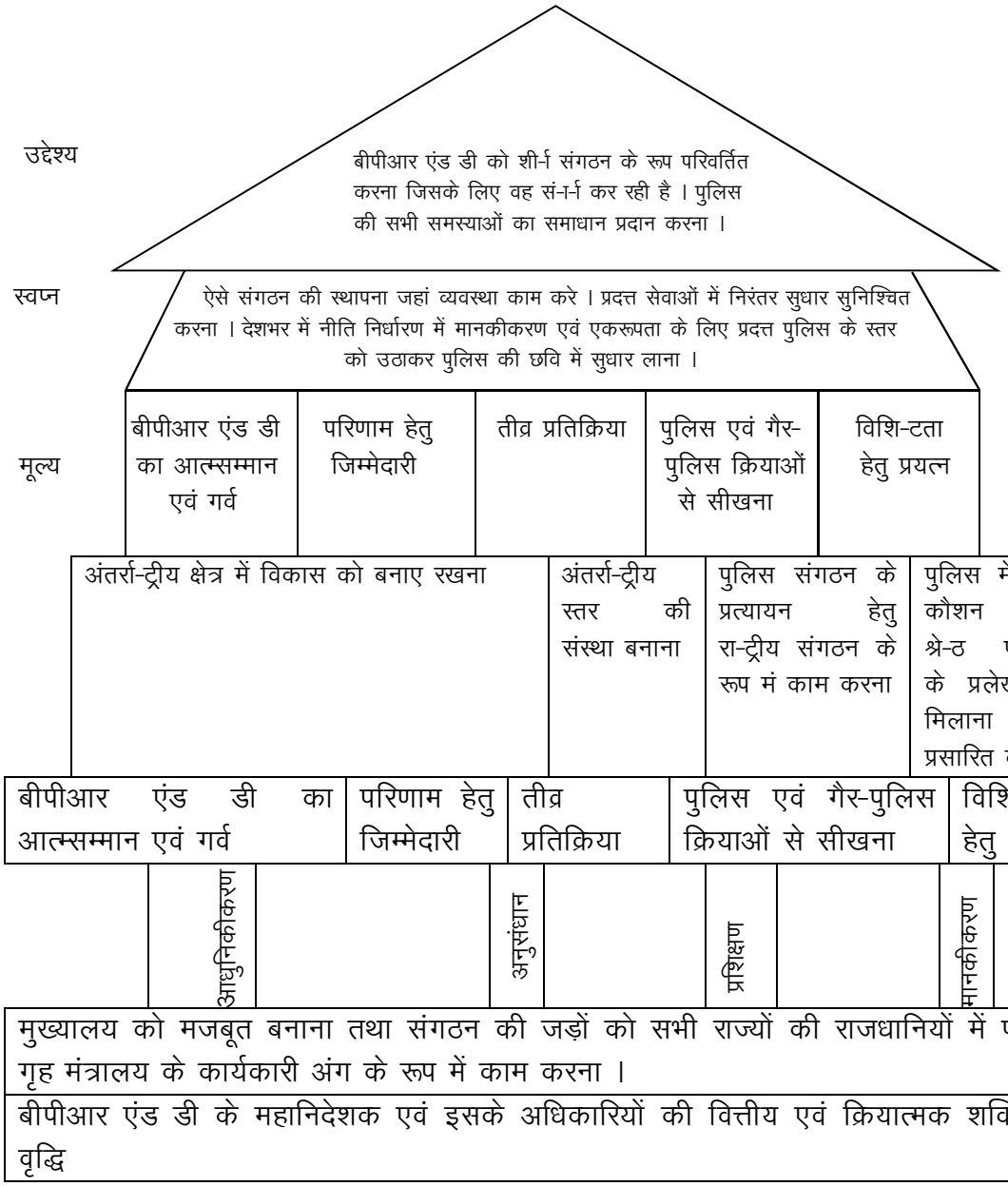
उद्देश्य
बीपीआर एंड डी को शी-र्ा संगठन के रूप परिवर्तित करना जिसके लिए वह सं-ार्-र्ा कर रही है । पुलिस की सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करना ।
स्वप्न
ऐसे संगठन की स्थापना जहां व्यवस्था काम करे । प्रदत्त सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना । देशभर में नीति निर्धारण में मानकीकरण एवं एकरूपता के लिए प्रदत्त पुलिस के स्तर को उठाकर पुलिस की छवि में सुधार लाना ।
मूल्य
बीपीआर एंड डी का आत्म्सम्मान एवं गर्व
परिणाम हेतु जिम्मेदारी
तीव्र प्रतिक्रिया
पुलिस एवं गैर-पुलिस क्रियाओं से सीखना
विशि-टता हेतु प्रयत्न
अंतर्रा-ट्रीय क्षेत्र में विकास को बनाए रखना
अंतर्रा-ट्रीय स्तर की संस्था बनाना
पुलिस संगठन के प्रत्यायन हेतु रा-ट्रीय संगठन के रूप मं काम करना
पुलिस में ज्ञान, कौशन तथा श्रे-ठ पद्धतियों के प्रलेखों को मिलाना तथा प्रसारित करना
बीपीआर एंड डी का आत्म्सम्मान एवं गर्व
परिणाम हेतु जिम्मेदारी
तीव्र प्रतिक्रिया
पुलिस एवं गैर-पुलिस क्रियाओं से सीखना
विशि-टता हेतु प्रयत्न
आधुनिकीकरण
अनुसंधान
प्रशिक्षण
मानकीकरण
मुख्यालय को मजबूत बनाना तथा संगठन की जड़ों को सभी राज्यों की राजधानियों में फैलाना, गृह मंत्रालय के कार्यकारी अंग के रूप में काम करना ।
बीपीआर एंड डी के महानिदेशक एवं इसके अधिकारियों की वित्तीय एवं क्रियात्मक शक्तियों में वृद्धि